facebook.com/ thebharatshri
twitter.com/ thebharatshri
website thebharatshri

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम

भारत श्री

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक

सोमवार, 11 अगस्त 2025 ● वर्ष 7 ● अंक 03 ● मूल्य: 5 रुपए

शिबू सोरेन का निधन

बीज मंत्र कोई साधारण ध्वनि या शब्द नहीं, बल्कि दिव्यता का अनुभव कराने वाला माध्यम है।

पेज-10-11

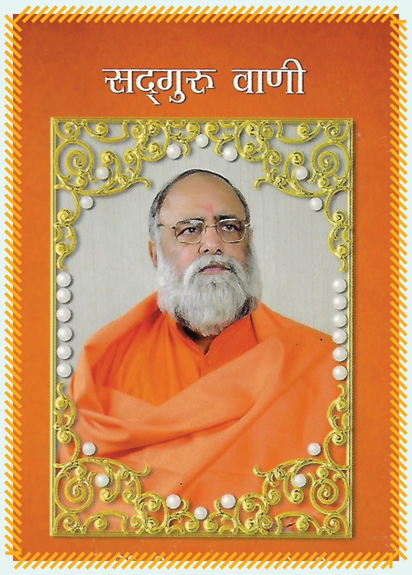

प्रभु कृपा के आलोक से निर्धनता को सम्पन्नता में परिवर्तित किया जा सकता है। इस आलोक में मां लक्ष्मी की कृपाओं का वास है।

●

जिन असाध्य रोगों का इलाज इस जगत में नहीं है, वे रोग दिव्य पाठ से सहज दूर होते हैं। इस तथ्य को स्वयं वैज्ञानिक जगत प्रमाणों के साथ स्वीकार कर रहा है।

●

दिव्य पाठ प्रभु कृपा का वह आलोक है जिसे करने के लिए किसी भी प्रकार की कठिन तपस्या या साधना की कोई जरूरत नहीं है। यह बड़ा सहज और सरल है।

वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा या लापरवाही?

एक पते पर 80 नाम, विपक्ष ने साधा निशाना

@ भारतश्री ब्यूरो

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बेंगलुरु में एक छोटे से मकान पर 80 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग की लिस्ट में एक पते पर सैकड़ों नाम जुड़े हुए हैं और यह वोटिंग प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने बड़े पर्दे पर वोटर्स की जानकारी दिखाते हुए कहा, "बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस एक छोटे से बैडरूम का घर है जिसमें 80 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। लेकिन जब हम वहां जाते हैं तो एक भी नाम वहां मौजूद नहीं मिलता।" उनके इस दावे ने विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच टकराव को और तेज कर दिया है।

जांच में मिले चौंकाने वाले खुलासे

राहुल गांधी के आरोपों की जांच करने मीडिया की टीम मौके पर पहुंची। जाँच में पता चला कि यह घर मुनी रेड्डी गार्डन में मौजूद है और महज 10 से 15 स्क्वायर फीट का एक सिंगल-रूम मकान है। इस घर में वर्तमान में एक फूड डिलीवरी एजेंट दीपांकर रह रहा था। दीपांकर का कहना था कि वह वेस्ट बंगाल से आया है और अभी सिर्फ एक महीने पहले ही यहां शिफ्ट हुआ है। जब उससे पूछा गया कि क्या उसका नाम बेंगलुरु की वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो उसने साफ कहा, "नहीं सर, मेरा वोट वेस्ट बंगाल में है। इस घर के एड्रेस से मेरा कोई संबंध नहीं।" इस खुलासे ने मामले को और पेचीदा बना दिया।

घर का मालिक और विवादित बयान

इस मकान का मालिक जयराम रेड्डी है। इंडिया टुडे की टीम ने जब उनसे संपर्क किया तो शुरुआत में उन्होंने स्वीकार किया कि उनका भारतीय जनता पार्टी से संबंध है। हालांकि, कैमरे पर आने के बाद उन्होंने अपने बयान से पलटी मार ली।जयराम रेड्डी ने यह भी माना कि उन्हें पता था कि उनके घर पर रजिस्टर्ड कई वोटर्स अब वहां नहीं रहते। लेकिन उन्होंने कभी भी चुनाव आयोग को इसकी जानकारी देने की जिम्मेदारी नहीं निभाई।उनका यह बयान कई सवाल खड़े करता है कि आखिर कैसे 10 साल में 80 वोटर्स एक ही घर के पते से जुड़े रह सकते हैं।

सोशल मीडिया पर गरमा-गरम बहस

जैसे ही राहुल गांधी का यह आरोप सामने आया, सोशल मीडिया पर मामला चर्चा का केंद्र बन गया। कांग्रेस समर्थकों ने इसे "लोकतंत्र की चोरी" बताया। बीजेपी समर्थकों ने इसे राहुल गांधी का "बेसिर-पैर का आरोप" कहकर खारिज कर दिया।लोगों ने यह भी पूछा कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कैसे हो सकती है और चुनाव आयोग इस पर चुप क्यों है।

विपक्ष ने मजबूती से उठाया सवाल

विपक्ष ने आंकड़ों के आधार पर तर्क दिया कि यदि 10 साल में 80 लोग इस घर में रह चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हर डेढ़ महीने पर एक नया किराएदार यहां आता-जाता रहा। यह तर्क अपने आप में अजीब है क्योंकि कोई भी किराएदार इतने छोटे समय में वोटर आईडी बनवाने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकता।महज डेढ़-दो महीने के अस्थायी रहने पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होना सामान्य नहीं माना जा सकता।इसी वजह से विपक्ष ने इस मामले को "वोटरलेस फ्रॉड" बताते हुए आरोप लगाया कि यह सब बीजेपी के हित में किया गया।

चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आई सामने

इस पूरे विवाद पर चुनाव आयोग ने अपनी स्थिति स्पष्ट की।आयोग ने कहा कि राहुल गांधी अगर आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें हलफनामा दायर करके औपचारिक शिकायत दर्ज करनी चाहिए।आयोग ने राहुल गांधी के कुछ दावों को भ्रामक भी बताया है।हालांकि, राहुल अपने आरोपों पर अड़े हुए हैं और लगातार अलग-अलग मंचों पर इसे उठाते रहे हैं।लेकिन विपक्ष के अनुसार यह दावा वास्तविकता से मेल नहीं खाता। 120 महीनों (10 साल) में 80 किराएदारों का बार-बार बदलना व्यावहारिक नहीं लगता।इतनी छोटी अवधि में किराएदार वोटर आईडी अपडेट कैसे करवा पाए, यह सवाल और बड़ा हो जाता है।

चुनावी प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है असर

यह विवाद केवल एक मकान या 80 वोटर्स तक सीमित नहीं है। यह पूरे देश की चुनावी प्रक्रिया और उसकी पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है।यदि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां साबित होती हैं तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा सवाल है।यदि आरोप झूठे निकलते हैं, तो यह विपक्ष की विश्वसनीयता पर चोट करेगा।दोनों ही स्थितियों में यह मामला 2024 लोकसभा चुनाव की राजनीतिक रणनीति और माहौल पर गहरा असर डालने वाला है।

MN DIVINE
ORDER ALL TYPES OF :
• POOJA SAMAGRI,
• AYURVEDIC MEDICINE
• AND PRATIMA.
NOW GET AT YOUR HOME ON
MNDIVINE.COM
ORDER NOW
https://mndivine.com/
HELPLINE : 9667793986
(10AM TO 6PM, MON-SAT)

भारत में बाढ़ का तांडव

गंगा-यमुना उफान पर, लाखों जिंदगियां खतरे में

भारत में मानसून का मौसम हमेशा से ही खुशी और मुसीबत दोनों लेकर आता है। लेकिन इस साल 2025 में, भारी बारिश ने पूरे देश में तबाही मचा दी है। गंगा नदी वाराणसी में उफान पर है, यमुना दिल्ली में खतरे के निशान को छू रही है, और असम में लैंडस्लाइड से मौतें हो रही हैं। ये घटनाएं क्लाइमेट चेंज की वजह से और ज्यादा खतरनाक हो गई हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, मौतें हुई हैं, और सरकार से बेहतर डिजास्टर मैनेजमेंट की मांग हो रही है। ये आर्टिकल इन सब पर डिटेल में बात करेगा, सिंपल हिंदी में, ताकि हर कोई समझ सके। हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और क्या किया जा सकता है।

गंगा का गुस्सा: वाराणसी में डूबे घाट और गांव

वाराणसी, जो गंगा के किनारे बसा है, इस बार बाढ़ की सबसे ज्यादा मार झेल रहा है। अगस्त 2025 की शुरुआत में भारी बारिश से गंगा का वाटर लेवल खतरे के निशान से ऊपर चला गया। 84 घाट पानी में डूब गए, और 6,000 से ज्यादा लोग घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। बोट्स पर बैन लग गया है, क्योंकि वाटर फ्लो बहुत तेज है। लोकल लोग बताते हैं कि घरों में पानी घुस गया, सामान बह गया, और खेती बर्बाद हो गई। गंगा का लेवल 71.12 मीटर तक पहुंच गया, जो नॉर्मल से बहुत ऊपर है। अब धीरे-धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी कई इलाके पानी में हैं।

ये सिर्फ वाराणसी तक नहीं रुका। उत्तर प्रदेश के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लड आया है, जैसे मिर्जापुर, गाजीपुर, और प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों उफान पर हैं, जिससे सड़कें और घर डूब गए। लोग बोट से आ-जा रहे हैं, और क्रेमेशन ग्राउंड्स तक पानी में हैं। फैमिलीज को लाशों का इंतजार करना पड़ रहा है। रक्षाबंधन पर एक भाई को बहन से मिलने के लिए बोट लेनी पड़ी। ये दिखाता है कि फ्लड कितना पर्सनल लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। किसानों की 327 हेक्टेयर जमीन पानी में डूब गई, और 1,469 फैमिलीज प्रभावित हुईं। गवर्नमेंट ने रिलीफ कैंप्स बनाए हैं, जहां 6,583 लोग शिफ्ट हो गए। लेकिन अभी भी कई जगहों पर मदद पहुंचनी बाकी है।

क्यों हो रहा है ये? अपस्ट्रीम में भारी रेन, जैसे उत्तराखंड और नेपाल से पानी आ रहा है। डैम्स से वाटर रिलीज हो रहा है, जो गंगा को और भरा देता है। सिल्टेशन की वजह से रिवर बेड ऊंचा हो गया है, जिससे कम पानी में भी फ्लड आ जाता है। ये प्रॉब्लम सालों से है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं हो रहा। अगर बेहतर प्लानिंग होती, तो शायद इतनी तबाही नहीं होती। क्या हमारी गवर्नमेंट्स सिर्फ रिलीफ पर फोकस करती हैं, या प्रिवेंशन पर भी?

यमुना का खतरा: दिल्ली में फ्लड अलर्ट, शहर थम सा गया

दिल्ली, जो इंडिया की कैपिटल है, भी इस मानसून में नहीं बची। यमुना रिवर का वाटर लेवल वार्निंग मार्क 204.5 मीटर को क्रॉस कर 204.88 मीटर तक पहुंच गया। डेंजर मार्क 205.3 मीटर है, और अगर वो क्रॉस होता, तो इवैक्यूएशन शुरू हो जाता। एक टाइम पर लेवल 205.15 मीटर तक गया, लेकिन फिर कम हुआ। हथिनी कुंड बैराज से पानी रिलीज होने से दिल्ली में फ्लड लाइक सिचुएशन बन गई। लो-लाइंग एरियाज में लोग अलर्ट पर हैं, और एजेंसीज को तैयार रहने को कहा गया है।

पिछले साल 2023 में यमुना का फ्लड रिकॉर्ड ब्रेक था, जब लेवल 208.66 मीटर तक गया। अब फिर वैसी ही सिचुएशन लग रही है। हेवी रेन से फ्लाइट्स डिले हो गईं, और रोड्स पर वाटर लॉगिंग। दिल्ली की पॉल्यूशन और अर्बन प्लानिंग की वजह से प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। ड्रेनेज सिस्टम चोक है, और रिवर बैंक पर इलीगल कंस्ट्रक्शन। क्लाइमेट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहर में, जहां मिलियंस लोग रहते हैं, फ्लड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या हम तैयार हैं? 2023 के बाद भी, रिपोर्ट्स कहती हैं कि सिटी अभी भी वल्नरेबल है।

ये फ्लड सिर्फ पानी नहीं लाता, बल्कि डिजीज भी। मॉस्किटो ब्रीडिंग बढ़ जाती है, और वाटर कंटामिनेशन से बीमारियां। गवर्नमेंट ने मिशन यमुना शुरू किया है, लेकिन रिजल्ट्स स्लो हैं। अगर हम नेचर को इग्नोर करेंगे, तो ऐसे डिजास्टर्स जारी रहेंगे। थॉट प्रोवोकिंग है ना, कि हम डेवलपमेंट के नाम पर रिवर्स को किल कर रहे हैं?

असम में लैंडस्लाइड का डर: मौतें और डिस्प्लेसमेंट की कहानी

असम और नॉर्थईस्ट इंडिया हमेशा से फ्लड और लैंडस्लाइड के लिए वल्नरेबल रहे हैं। जून 2025 में हेवी रेन्स से 34 से 48 मौतें हुईं, और हजारों लोग डिस्प्लेस्ड। गुवाहाटी में लैंडस्लाइड से 5 लोग मारे गए, और अरुणाचल प्रदेश में 9। मिजोरम में होटल्स और घर ढह गए। काजीरंगा नेशनल पार्क तक पानी में डूब गया। अब अगस्त में फिर रेन्स से प्रॉब्लम बढ़ी है।

नॉर्थईस्ट में हिमालयन रीजन की वजह से लैंडस्लाइड कॉमन हैं। हेवी रेन से मड और वाटर तेजी से नीचे आता है, और विलेजेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। असम में धनसिरी रिवर ओवरफ्लो हो गई, और मणिपुर में नंबोल रिवर। आर्मी ने ऑपरेशन जल राहत चलाया, जिसमें 3,820 लोगों को रेस्क्यू किया, और फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। लेकिन डेथ टोल बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज से रेन्स ज्यादा इंटेंस हो रही हैं, और फॉरेस्ट कटिंग से सॉइल इरोजन बढ़ गया है।

लोगों की लाइफ इंपैक्टेड है। फैमिलीज बेघर, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय, और स्कूल्स क्लोज। गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रिलीज किया, लेकिन क्या ये एनफ है? डिजास्टर मैनेजमेंट में कमियां हैं, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम वीक। अगर बेहतर कोऑर्डिनेशन होता, तो लॉसेस कम होते। ये सोचने वाली बात है कि नॉर्थईस्ट जैसे वल्नरेबल एरियाज में डेवलपमेंट कैसे बैलेंस करें?

क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी: इंडिया की कमजोरियां और बेहतर मैनेजमेंट की जरूरत

इंडिया क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। 55% एरिया सीस्मिक जोन्स में है, 65% ड्रॉट प्रोन, और कोस्टल एरियाज साइक्लोन्स से। फ्लड्स सबसे कॉमन डिजास्टर हैं, क्योंकि मानसून से हेवी रेन होती है। 2025 में जनवरी से मार्च तक 80 दिनों में फ्लड और लैंडस्लाइड रिपोर्ट्स आए। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 कहता है कि इंडिया टॉप वल्नरेबल कंट्रीज में है।

क्यों इतनी वल्नरेबिलिटी? अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। रिवर्स पर एनक्रोचमेंट से फ्लडिंग बढ़ती है। डिजास्टर मैनेजमेंट में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ एक्टिव हैं, लेकिन प्रिवेंशन कम। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एआई और टेक्नोलॉजी से रेजिलिएंट सिटीज बना सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल विल की कमी है। फ्लड रिलीफ इंडस्ट्री बन गई है, जहां पैसे का मिसयूज होता है।

नॉर्थ और नॉर्थईस्ट सबसे प्रभावित हैं, जहां मिलियंस लोग रहते हैं। इंटरनल माइग्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि लोग सेफ प्लेसेस ढूंढते हैं। बेहतर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटजीज की जरूरत है, जैसे कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस और अर्ली वार्निंग। क्या हम क्लाइमेट एडाप्टेशन पर फोकस करेंगे, या सिर्फ रिएक्ट करेंगे? ये थॉट प्रोवोकिंग है कि हमारी जेनरेशन क्या लीगेसी छोड़ेगी।

आगे क्या: होप और चैलेंजेस का बैलेंस

ये फ्लड्स दिखाते हैं कि इंडिया को क्लाइमेट चैलेंजेस से डील करने के लिए स्ट्रॉन्ग प्लान्स चाहिए। गवर्नमेंट ने सुपरगोक और प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस जैसे टूल्स से इंफॉर्मेशन शेयरिंग बढ़ाई, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। लोग कम्युनिटी लेवल पर प्रिपेयर हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट एड और इमरजेंसी किट्स। लेकिन बिग पिक्चर में, क्लाइमेट पॉलिसीज चेंज करनी होंगी।

मिलियंस प्रभावित हैं, लेकिन होप है। आर्मी और एनजीओज हेल्प कर रहे हैं। अगर हम लेसन्स लें, तो फ्यूचर बेहतर हो सकता है। लेकिन इग्नोर किया, तो और तबाही आएगी। क्या हम तैयार हैं? ये सवाल हर इंडियन को सोचना चाहिए।

शिबू सोरेन का निधन एक युग का अंत

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के संस्थापक शिबू सोरेन का 4 अगस्त 2025 को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में निधन हो गया। वह 81 साल के थे। उनकी मृत्यु ने न केवल झारखंड, बल्कि पूरे भारत में एक शून्य छोड़ दिया है। 'दिशोम गुरुजी' के नाम से मशहूर शिबू सोरेन ने आदिवासी अधिकारों और झारखंड राज्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। उनके निधन पर देशभर से नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। यह लेख उनके जीवन, योगदान, विवादों और उनकी मृत्यु के बाद की स्थिति पर रोशनी डालता है।

दिशोम गुरुजी: आदिवासी आंदोलन का चेहरा

शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को झारखंड के रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके शुरुआती दिन साधारण थे, लेकिन उन्होंने जल्द ही आदिवासी समुदाय के लिए आवाज उठानी शुरू की। 1970 के दशक में उन्होंने आदिवासियों के जमीन के अधिकारों और शोषण के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। 1973 में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की स्थापना की, जिसका मकसद बिहार से अलग झारखंड राज्य का निर्माण था।

उनके इस आंदोलन ने न केवल आदिवासियों, बल्कि गरीब और वंचित वर्गों को भी एकजुट किया। उनकी मेहनत रंग लाई और साल 2000 में झारखंड एक अलग राज्य बना। शिबू सोरेन को इस उपलब्धि का सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है। उनके समर्थक उन्हें 'दिशोम गुरु' यानी 'धरती का नेता' कहते थे, जो उनकी जमीन से जुड़ी छवि को दर्शाता है।

शिबू सोरेन का राजनीतिक सफर भी शानदार रहा। वह 1980 में पहली बार दुमका से लोकसभा सांसद बने और इसके बाद आठ बार लोकसभा और दो बार राज्यसभा के लिए चुने गए। वह तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, हालांकि उनकी हर सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकी। इसके अलावा, वह यूपीए-1 सरकार में कोयला मंत्री भी रहे। उनकी राजनीतिक यात्रा ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा चेहरा बनाया।

एक विवादास्पद लेकिन प्रिय नेता

शिबू सोरेन का जीवन जितना प्रेरणादायक था, उतना ही विवादों से भरा भी। उनके करियर में कई बड़े विवाद रहे, जिन्होंने उनकी छवि को प्रभावित किया। 1990 के दशक में उन पर और जेएमएम के कुछ सांसदों पर आरोप लगा कि उन्होंने नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग के लिए रिश्वत ली थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में सांसदों को इस मामले में कानूनी छूट दे दी।

2006 में शिबू सोरेन को उनके पूर्व सहयोगी शशिनाथ झा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया। उन पर आरोप था कि झा को रिश्वत कांड के बारे में ज्यादा जानकारी थी, जिसके चलते उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि, 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। इसके अलावा, कोयला मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कोयला आवंटन में अनियमितताओं के आरोप भी लगे, लेकिन इनमें कोई ठोस सजा नहीं हुई।

इन विवादों के बावजूद, शिबू सोरेन का आदिवासी समुदाय में सम्मान कभी कम नहीं हुआ। उनके समर्थकों के लिए वह एक 'देव तुल्य नेता' थे, जिन्होंने हमेशा गरीबों और आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने उनके निधन पर कहा, "झारखंड के लिए यह एक युग का अंत है। हमारे गुरुजी, हमारे भगवान, दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं हैं।"

निधन और देश की प्रतिक्रिया

शिबू सोरेन का निधन 4 अगस्त 2025 को सुबह 8:56 बजे दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में हुआ। वह जून के आखिरी हफ्ते से अस्पताल में भर्ती थे और किडनी से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे थे। पिछले डेढ़ महीने में उन्हें स्ट्रोक भी हुआ था और 2 अगस्त को उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था।

उनके निधन की खबर ने पूरे देश में शोक की लहर दौड़ा दी। उनके बेटे और वर्तमान झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। आज मैं शून्य हो गया हूँ" उनकी इस पोस्ट ने उनके निजी दुख को जाहिर किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, "श्री शिबू सोरेन जी एक जमीनी नेता थे, जिन्होंने जनता के लिए पूरी निष्ठा से काम किया। वह खास तौर पर आदिवासी समुदाय, गरीबों और वंचितों के लिए समर्पित थे। उनके निधन से मुझे दुख हुआ। मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से बात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। ओम शांति।"

कई अन्य नेताओं ने भी शिबू सोरेन को याद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "वह झारखंड के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे, जिन्होंने कमजोर वर्गों, खासकर आदिवासियों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया।" कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने उन्हें आदिवासियों का सबसे बड़ा राष्ट्रीय चेहरा बताया। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा, "झारखंड के लोगों के लिए वह भगवान से कम नहीं थे।"

झारखंड की राजनीति पर प्रभाव

शिबू सोरेन का निधन झारखंड की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका है। जेएमएम के संस्थापक के रूप में उन्होंने न केवल पार्टी को मजबूत किया, बल्कि झारखंड के लोगों को एक नई पहचान दी। उनके नेतृत्व में जेएमएम एक क्षेत्रीय ताकत से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी। हालांकि, इस साल अप्रैल में जेएमएम ने अपनी संरचना में बदलाव किया और हेमंत सोरेन को केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जबकि शिबू सोरेन को 'संस्थापक संरक्षक' की भूमिका दी गई।

उनके निधन के बाद जेएमएम और झारखंड की गठबंधन राजनीति में बदलाव की संभावना है। शिबू सोरेन की मौजूदगी पार्टी के लिए एक भावनात्मक और वैचारिक आधार थी। अब हेमंत सोरेन पर यह जिम्मेदारी है कि वह अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएं। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कहा, "एक युग का अंत हो गया। शिबू सोरेन जी ने जेएमएम को मजबूत करने में बड़ा योगदान दिया।"

शिबू सोरेन के निधन से झारखंड में आदिवासी राजनीति भी प्रभावित हो सकती है। उनके नेतृत्व ने आदिवासियों को एकजुट करने और उनकी आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में मदद की। अब यह देखना होगा कि जेएमएम और अन्य क्षेत्रीय दल उनकी इस विरासत को कैसे संभालते हैं।

विरासत और भविष्य की राह

शिबू सोरेन की मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया, लेकिन उनकी विरासत झारखंड और भारत की राजनीति में हमेशा जीवित रहेगी। उन्होंने न केवल एक राज्य का निर्माण किया, बल्कि लाखों आदिवासियों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। उनके संघर्ष ने यह साबित किया कि जमीनी स्तर का नेता भी राष्ट्रीय मंच पर अपनी छाप छोड़ सकता है।

उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को 4 अगस्त को दिल्ली से रांची लाया गया और 5 अगस्त को झारखंड विधानसभा परिसर में रखा गया। उनके अंतिम संस्कार रामगढ़ जिले के उनके पैतृक गांव में किए गए। इस दौरान हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

शिबू सोरेन का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो लोगों के दुख-दर्द को समझे और उनके लिए लड़ने की हिम्मत रखे। उनके निधन से झारखंड ने अपना 'दिशोम गुरु' खो दिया, लेकिन उनकी शिक्षाएं और संघर्ष की कहानी हमेशा प्रेरणा देती रहेगी।

विकास की मुख्यधारा में आदिवासी समाज

भारत की अनूठी जनजातीय विरासत

@ मनीष पांडेय

हर साल 9 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर में फैले आदिवासी समुदायों के अधिकारों, उनकी धरोहर और समाज में उनके योगदान को सम्मान दिया जा सके। यह दिन केवल उत्सव का नहीं बल्कि आत्मचिंतन और जागरूकता का प्रतीक है।संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। उद्देश्य साफ था विश्व स्तर पर आदिवासी समुदायों की स्थिति को रेखांकित करना और उनके विकास के लिए सामूहिक प्रयासों को गति देना।

47 करोड़ से अधिक लोग आदिवासी समुदायों से आते हैं

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में लगभग 47 करोड़ से अधिक लोग आदिवासी समुदायों से आते हैं। ये लोग 90 से ज्यादा देशों में फैले हुए हैं। अक्सर इनकी पहचान उनकी परंपरागत जीवनशैली, संस्कृति, भाषा और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता से की जाती है। लेकिन इन समुदायों को आज भी गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और विस्थापन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

भारत में आदिवासी समुदाय की हालत

भारत में आदिवासी समुदायों को प्रायः "जनजाति" या "अनुसूचित जनजाति" कहा जाता है। ये देश की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।भारत में आदिवासी जनसंख्या लगभग 10 करोड़ से अधिक है, जो कुल आबादी का करीब 8.6 प्रतिशत है। इनकी सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पाई जाती है।भारत की सबसे प्राचीन और विशिष्ट जनजातियों में अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की जरावा जनजाति का उल्लेख होता है। यह जनजाति अपनी अनूठी परंपराओं और प्राकृतिक जीवनशैली के लिए जानी जाती है। हालांकि, इनका अस्तित्व अब आधुनिकता और संसाधनों की होड़ में खतरे में है।

सरकारी कार्यक्रम और पहलें

भारत सरकार ने आदिवासी समुदायों के विकास और सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएँ चलाई हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पहलें हैं,प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसका उद्देश्य आदिवासी बहुल गाँवों में आधारभूत ढांचे की कमी को दूर करना है।

प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान :यह अभियान आवास, स्वास्थ्य सेवाएँ, आधारभूत ढांचा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है।

आदि कर्म योगी योजना :इसके तहत आदिवासी कार्यकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर हो सके।

सूक्ष्म वित्त और स्वयं सहायता समूह (SHGs) : यह पहल खासतौर पर आदिवासी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर केंद्रित है। इससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है।

आदिवासी समुदायों की सुरक्षा के लिए हैं कई संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान में आदिवासी समुदायों की सुरक्षा और कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

अनुच्छेद 154 : राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजातियों के निर्धारण का अधिकार।

अनुच्छेद 29 : अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, जिसमें एसटी शामिल हैं।

अनुच्छेद 330 : लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण।

अनुच्छेद 332 : राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण।

अनुच्छेद 243 : पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण।

अनुच्छेद 275 : अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु राज्यों को विशेष निधि आवंटन।

इन प्रावधानों का मकसद केवल प्रतिनिधित्व देना ही नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि आदिवासी समाज भी मुख्यधारा के विकास से जुड़ सके।हालांकि योजनाओं और संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद आदिवासी समुदायों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालयों और शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा स्तर निम्न है।

बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध न होने से शिशु मृत्यु दर और कुपोषण जैसी समस्याएँ आम हैं।खनन और बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स की वजह से आदिवासी अक्सर अपनी भूमि और संसाधनों से वंचित हो जाते हैं।आधुनिकता की दौड़ में आदिवासी भाषाएँ और सांस्कृतिक परंपराएँ खत्म होती जा रही हैं।

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक
भारत श्री
राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
सोमवार, 11 अगस्त 2025, विक्रम संवत 2080

संस्कारों में एक बहुत बड़ा अंतर

दुनिया के गैर मुसलमान और मुसलमान के संस्कारों में एक बहुत बड़ा अंतर है। दुनिया के मुसलमान अपने संगठन का विस्तार चाहते हैं चाहे वह किसी भी प्रणाली से क्यों ना हो उन्हें मानवता से कोई लेना देना नहीं होता दूसरी ओर दुनिया के गैर मुसलमान तुरंत ही मानवता के पक्ष में खड़े हो जाते हैं वे कभी भी मानवता की हत्या के लिए तैयार नहीं होते भले ही उनके सामने कोई हत्यारा ही क्यों न हो। यह बीमारी आमतौर पर ईसाइयों में तो है ही लेकिन कुछ मात्रा में हिंदुओं में भी पाई जाती है। हम देख रहे हैं यही बीमारी अभी इसराइल और गजा के टकराव के बीच भी देखने को मिल रही है। हमास ने इजरायल के कुछ लोगों को आज भी बंधक बना रखा है उसने 1२00 इसराइलियों को अमानवीय तरीके से मारा दुनिया जानती है लेकिन 1२00 मारन के बाद भी उसने कुछ लोगों को बंधक बना लिया क्योंकि हमास जानता था कि मानवता के नाम पर दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाएगी और ऐसा लगता भी था लेकिन दिल कड़ा करके दुनिया ने इस बार हमास को धोखा दिया । अब इस लड़ाई को कुछ वर्ष बीत रहे हैं अब धीरे-धीरे दुनिया का गजा के नागरिकों के लिए पिघल रही है लेकिन हमास को जरा भी इस बात से कष्ट नहीं है कि उसके लाखों लोग भूख से भर रहे हैं ।सारी दुनिया बहुत परेशान है कि हम आपके लाखों लोग भूखे हैं प्यासे हैं मर रहे हैं कहां जाएंगे। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि हमास क्यों नहीं पिघल जा रहा है कि जिन 10 या २0 लोगों को उसने जेल में बंद करके रखा है उन्हें छोड़ दे। सारा झगड़ा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन आश्चर्य है कि हमास में मानवता शून्य है और हमास के पक्षधर गजा के लोग दुनिया भर में मानवता का रोना रो रहे हैं । आपने अभी पिछले एक सप्ताह में देखा होगा कि इस मामले में कुछ बदलाव आ रहा है एक तरफ दुनिया भर में इसराइल पर दबाव बढ़ रहा है कि तुम इस झगड़े को खत्म करो क्योंकि यह मानवता के लिए कलंक है दूसरी ओर गजा में हमास के लोगों पर भी दबाव बढ़ रहा है कि तुम इस तरह 10-२0 लोगों की जान लेने के लिए हजारों लाखों लोगों को मरवा रहे हो यह भी ठीक नहीं है । गजा में भी मुसलमान लोगों के अंदर यह बात लगातार बढ़ती जा रही है। फिर भी मेरा अपना यह सुझाव है कि मानवता के नाम पर दुनिया थोड़ा सा धैर्य रखें । जब तक गजा के मुसलमान के दिल में मानवता की लहर नहीं फुटती है तब तक अपनी मानवता को अभी दबा कर रखना ही उचित है अन्यथा हमारी यह मानवता सारी दुनिया के लिए नुकसान करेगी। गजा में अगर कुछ लाख लोग भूख से मर जाएंगे तो सारी दुनिया में करोड़ों लोग इस तरह के अत्याचारों से बच भी जाएंगे।

बजरंग मुनि

क्या सड़कों से कुत्तों का सफ़ाया ही समाधान है?

@ **अनुराग पाठक**

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया कि दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को पकड़कर स्थायी रूप से शेल्टर्स में स्थानांतरित किया जाए। कोर्ट ने आठ हफ़्तों की समयसीमा तय की है और इस दौरान हज़ारों कुत्तों के स्टेरलाइजेशन और नई हेल्पलाइन की बात भी कही गई है। कागज़ पर यह एक संवेदनशील और सुनियोजित कदम नज़र आता है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या सड़कों से कुत्तों का सफ़ाया ही असली समाधान है?

यह आदेश सुनते ही पहली प्रतिक्रिया यही आती है कि इंसानों और जानवरों के बीच का रिश्ता आखिर किस दिशा में जा रहा है। समाज की सुरक्षा ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन संवेदनाओं की हत्या करके समस्या का हल निकालना न केवल अमानवीय है, बल्कि यह हमारे सामाजिक मूल्यों पर भी गहरा प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। कोर्ट का तर्क है कि बच्चे और बुजुर्ग अक्सर इन कुत्तों के हमले का शिकार बनते हैं और इन्हें बचाना ज़रूरी है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इंसानों की ग़लतियों और अपराधों पर भी इतना ही कठोर रुख अपनाया जाता है?

हमारे देश में बच्चे चोरी कर रहे हैं, युवा नशे की गिरफ्त में हैं, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध रोज़ाना हो रहे हैं। क्या इनके लिए भी कोई अदालत यह आदेश देती है कि इन्हें समाज से स्थायी तौर पर बाहर कर दिया जाए? या यह कठोरता सिर्फ़ उन बेजुबानों के लिए सुरक्षित है जो अपने हिस्से की ज़िंदगी इंसानों के छोड़े टुकड़ों और इंसानी दया पर जीते हैं? यह तुलना कठोर लगे, लेकिन यही कठोरता इस फैसले की असलियत भी दिखाती है।कुत्तों को हम भारतीय संस्कृति में वफ़ादारी का प्रतीक मानते आए हैं। मिथकों से लेकर आधुनिक जीवन तक, कुत्ता हमेशा उस दोस्त के रूप में रहा है जिसने अपने मालिक की रक्षा की, उसके सुख-दुख में साथ दिया। कहा भी गया है कि इंसान धोखा दे सकता है, लेकिन कुत्ता कभी नहीं। ऐसे में, क्या उनकी वफ़ादारी का यही सिला है कि उन्हें सड़कों से खदेड़कर शेल्टर्स की कैद में डाल दिया जाए? क्या यह उनका अपराध है कि वे भूख और बेघरपन की वजह से सड़कों पर आ गए?समाज में यह धारणा गहरी हो चुकी है कि इंसानों की असफलताओं का बोझ जानवरों पर डाल देना आसान है। हमने शहरीकरण की तेज़ रफ्तार में उनके रहने की जगह छीनी, उनके भोजन के स्रोत खत्म कर दिए, जंगल काट डाले और फिर जब वे हमारी गलियों में दिखने लगे तो हमने उन्हें समस्या घोषित कर दिया। दरअसल, यह समस्या कुत्तों की नहीं, बल्कि हमारी नीतियों और दृष्टिकोण की है।कभी-कभी यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या हम चीन जैसे देशों की तरह संवेदना-विहीन समाज की ओर बढ़ रहे हैं। चीन में जानवरों को लेकर अपनाई गई नीतियों की अक्सर आलोचना होती रही है, लेकिन क्या भारत भी अब उसी राह पर है जहाँ इंसान और पशु के बीच करुणा और सह-अस्तित्व की परंपरा मिटती जा रही है? अगर हम बेजुबानों के प्रति संवेदना खो देंगे, तो दुनिया हमें किस रूप में देखेगी? क्या यह मुल्क अब एक संवेदना-विहीन राष्ट्र की पहचान के साथ खड़ा होगा?

वास्तविकता यह है कि कुत्तों की बढ़ती आबादी और उनके हमलों की घटनाओं का हल उनके सफ़ाए में नहीं, बल्कि एक संतुलित और मानवीय नीति में है। स्टेरलाइजेशन को तेज़ करना चाहिए, शेल्टर्स को सुधारना चाहिए, और सबसे अहम—लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए कि कुत्तों को मारना या खदेड़ना समाधान नहीं है। अगर इंसान उन्हें भोजन और देखभाल देंगे, तो वे भी आक्रामक नहीं होंगे। शहरों में कई जगह ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ स्थानीय लोग कुत्तों की देखभाल करते हैं और वहाँ किसी तरह की समस्या नहीं होती।लेकिन यह उम्मीद तब तक अधूरी है जब तक शासन और समाज मिलकर इस दिशा में ईमानदारी से काम न करें। सिर्फ़ कोर्ट के आदेश पर चलकर असली समस्या नहीं सुलझेगी। जरूरत है कि इंसान अपने भीतर झांके, यह समझे कि पशुओं पर अत्याचार करने से इंसानी समस्याएँ खत्म नहीं होंगी। बल्कि इससे समाज और क्रूर होता जाएगा।

आज जब हम विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं और आदिवासियों की संस्कृति, पहचान और अस्तित्व को बचाने की बात करते हैं, तो क्या यह सवाल नहीं उठता कि हम अपनी ही धरती पर पलने वाले पशुओं की पहचान और अस्तित्व को क्यों मिटा रहे हैं? संवेदना केवल इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हर जीव के लिए होनी चाहिए। यही वह मूल्य है जिसने हमें अब तक एक मानवीय समाज बनाए रखा है।

कुत्ते कोई अपराधी नहीं, वे हमारे साथी हैं। उनका अपराध केवल इतना है कि वे बेजुबान हैं, इंसानों जैसी चालाकी और चालबाज़ी नहीं जानते। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी धोखा नहीं दिया, कभी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं किया। इंसानों की दुनिया में सबसे वफ़ादार समझे जाने वाले जीव को अगर हम सड़कों से हटाकर कैदखाने में डाल देंगे, तो यह हमारी हार है, उनकी नहीं।आज हमें यह तय करना है कि हम किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं।

जुबानी तीर

“ आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करना ज़रूरी है और केवल शेल्टर में भेजना ही समाधान नहीं है, बल्कि जनसंख्या नियंत्रण जैसे ठोस कदम उठाने होंगे।

मोहन भागवत (RSS प्रमुख)

“ “ब्लैंकेट रिमूवल” क्रूर है। सार्वजनिक सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों साथ-साथ चल सकते हैं, इसके लिए नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल जैसे विकल्प अपनाने चाहिए।

राहुल गांधी (कांग्रेस नेता)

“ यह आदेश को अव्यवहारिक और बेतुका है। कुत्तों को हटाना समस्या का हल नहीं है, क्योंकि उनकी जगह नए कुत्ते आ जाएंगे। इसके बजाय स्थायी और मानवीय उपाय किए जाने चाहिए।

मनेका गांधी (बीजेपी सांसद और पशु अधिकार कार्यकर्ता)

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक डॉ. महिमा मक्कर द्वारा एच0टी0 मीडिया, प्लॉट नं. 8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा-9 उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं जी. एफ. 5/115, गली नं. 5 संत निरंकारी कालोनी, दिल्ली-110009 से प्रकाशित । संपादकः महिमा मक्कर, RNI No. DELHI/2019/77252, संपर्क 011-43563154

विज्ञापन एवं वार्षिक सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफिस के पते पर सम्पर्क करें या फिर इन नम्बरों - 9667793987 या 9667793985 पर बात करें या इस पर media@bharatshri.com ईमेल करें।

सिरदर्द नहीं बनेगी ज़िंदगी का बोझ

आयुर्वेद सिखाएगा माइग्रेन से निपटना

@ डॉ महिमा मक्कर

आज की भागदौड़ और तनावपूर्ण जिंदगी में सिरदर्द आम हो गया है, लेकिन जब यह सिरदर्द बार-बार, एक ही तरफ और तीव्र दर्द के साथ हो, तो इसे सामान्य नहीं माना जा सकता। यह स्थिति "माइग्रेन" कहलाती है। आधुनिक चिकित्सा में माइग्रेन को पूरी तरह खत्म करने का इलाज नहीं है, बल्कि दर्द कम करने और उसे नियंत्रित करने के उपाय हैं। वहीं, भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में माइग्रेन को "अर्धावभेदक" नाम से जाना जाता है और इसमें इसके मूल कारणों का उपचार सुझाया गया है।

माइग्रेन केवल सिरदर्द नहीं है, बल्कि यह एक न्यूरोलॉजिकल (तंत्रिका संबंधी) विकार है। इसमें अक्सर सिर के एक हिस्से में धड़कन जैसा दर्द होता है। यह दर्द 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक रह सकता है और इसके साथ मतली, उल्टी, तेज रोशनी और आवाज़ से परेशानी जैसी समस्याएँ भी होती हैं।

माइग्रेन के कारण (आयुर्वेदिक दृष्टिकोण)

आयुर्वेद के अनुसार, माइग्रेन का मुख्य कारण शरीर में त्रिदोषों (वात, पित्त और कफ) का असंतुलन है।

वात दोष – अधिक तनाव, अनियमित दिनचर्या और नींद की कमी से बढ़ता है।

पित्त दोष – मसालेदार, तैलीय और खट्टे भोजन से बढ़ता है।

कफ दोष – जंक फूड, भारी भोजन और दिन में सोने से बढ़ता है।

आधुनिक दृष्टि से माइग्रेन के कारण:

अत्यधिक तनाव
नींद की कमी
हार्मोनल बदलाव
अधिक स्क्रीन टाइम
फास्ट फूड और असंतुलित खानपान
आनुवांशिक कारण

माइग्रेन के लक्षण

सिर के एक हिस्से में तीव्र दर्द
आंखों के पीछे या कनपटी पर दबाव
मतली और उल्टी
रोशनी और आवाज़ के प्रति संवेदनशीलता
धुंधली नज़र या चक्कर आना
मूड स्विंग्स और थकान

माइग्रेन का आयुर्वेदिक दृष्टिकोण

आयुर्वेद कहता है कि माइग्रेन को जड़ से ठीक करने के लिए शरीर में दोषों को संतुलित करना ज़रूरी है। इसके लिए आयुर्वेदिक उपचार, पंचकर्म, आहार-विहार और योग-ध्यान का संयोजन कारगर माना जाता है।

आयुर्वेदिक इलाज और घरेलू नुस्खे

1. पंचकर्म थेरेपी

पंचकर्म आयुर्वेद की सबसे प्रभावी चिकित्सा पद्धति है। माइग्रेन में विशेष रूप से नस्य उपचार उपयोगी है।

नस्य क्रिया – इसमें औषधीय तेल या घृत (जैसे अनुतैल, शिरोधारा तेल) को नाक के माध्यम से डाला जाता है। इससे मस्तिष्क की नसों को पोषण मिलता है और सिरदर्द में राहत मिलती है।

शिरोधारा – इसमें औषधीय तेल को माथे पर धीरे-धीरे डाला जाता है। यह तनाव कम करता है और नींद में सुधार करता है।

२. आयुर्वेदिक औषधियाँ

ब्राह्मी – दिमाग को शांत करने और स्मरण शक्ति बढ़ाने में सहायक।

शंखपुष्पी – तनाव और चिंता कम करने में कारगर।

अश्वगंधा – तंत्रिका तंत्र को मजबूती देती है और स्ट्रेस हार्मोन को नियंत्रित करती है।

त्रिफला चूर्ण – पाचन सुधारता है और शरीर को डिटॉक्स करता है।

गुडुची – शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है।

इन औषधियों का सेवन हमेशा किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के बाद ही करें।

३. घरेलू नुस्खे

अदरक की चाय – मतली और दर्द को कम करती है।

पुदीने का तेल – कनपटी पर हल्की मालिश करने से ठंडक और राहत मिलती है।

घी और दूध – रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध या गाय का शुद्ध घी लेने से लाभ मिलता है।

नींबू की पत्तियाँ – नींबू की पत्तियों का रस सिर पर लगाने से भी माइग्रेन में राहत मिलती है।

तुलसी और अदरक का काढ़ा – शरीर से विषाक्त पदार्थ निकालने और सिरदर्द कम करने में सहायक।

4. आहार-विहार

तैलीय, मसालेदार और जंक फूड से परहेज करें।
कैफीन और अल्कोहल का सेवन कम करें।
भोजन समय पर और संतुलित मात्रा में करें।
दिन में सोने की आदत छोड़ें।
अधिक स्क्रीन टाइम और तेज़ रोशनी से बचें।

5. योग और प्राणायाम

योग और ध्यान माइग्रेन के दीर्घकालिक प्रबंधन में बेहद प्रभावी हैं।

अनुलोम-विलोम – मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाता है।

भ्रामरी प्राणायाम – तनाव और चिंता को दूर करता है।

शवासन – शरीर और मन को पूर्ण विश्राम देता है।

सर्वांगासन और हस्तपादासन – नसों और मस्तिष्क को पोषण प्रदान करते हैं।

आधुनिक चिकित्सा बनाम आयुर्वेद

जहाँ आधुनिक चिकित्सा केवल दर्द निवारक दवाओं पर निर्भर करती है, वहीं आयुर्वेद कारणों की जड़ तक जाकर इलाज करता है। आयुर्वेदिक पद्धति शरीर के संतुलन को ठीक करके रोग को जड़ से मिटाने की दिशा में काम करती है।माइग्रेन आज केवल शारीरिक समस्या नहीं, बल्कि आधुनिक जीवनशैली की देन भी है। दवाइयाँ तुरंत राहत तो देती हैं, लेकिन स्थायी इलाज नहीं। आयुर्वेदिक पद्धति, पंचकर्म, योग, और घरेलू उपायों को अपनाकर माइग्रेन को न केवल नियंत्रित किया जा सकता है बल्कि लंबे समय तक राहत भी पाई जा सकती है।आयुर्वेद हमें यह सिखाता है कि बीमारी को केवल दबाना नहीं, बल्कि जीवनशैली को संतुलित कर उसे जड़ से मिटाना ही सच्चा इलाज है।

संत महीपति जी: भक्ति के अमृत सागर

संतों की महिमा और महीपति जी का अवतार

संतों के चरित्र का बखान करना तो जैसे कई जन्मों के पुण्यों का उदय होना है। संतों की महिमा का वर्णन करना नामुमकिन है। उनके चरणों की रज जैसे गंगा का पानी है, उसमें डुबकी लगाने से परम आनंद मिलता है। ये निर्मल भगवद्भक्ति देती है, सरस विरक्ति और अटल मुक्ति का दान करती है। संतों के चरणों के दर्शन से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बात पक्की है कि अगर संत की कृपा से जीवन गुजर जाए, तो भवसागर से पार होकर इंसान वैराग्य के साम्राज्य में परम पद पर विराजमान हो जाता है।

संत महीपति जी महाभागवत संत थे। उन्होंने खुद तो संतों और भगवद्भक्तों की चरण रज गंगा में डुबकी लगाई, बल्कि अनगिनत प्राणियों को भी ये अवसर दिया। वे बिना शक मराठी संत-साहित्य के नाभादास कहे जा सकते हैं। अपनी रचनाओं में उन्होंने भगवान के भक्तों का चरितामृत सागर उड़ेल दिया। संत महीपति भगवान के भक्ति राज्य के नागरिक थे। पृथ्वी पर भगवती ज्योति फैलाने के लिए ही उन्होंने जन्म लिया था। उनके पूर्वज बहुत सात्विक और भगवद्भक्त थे। भगवान पांडरीनाथ की भक्ति उनकी पैतृक संपत्ति थी। महीपति जी का जन्म संवत १७७२ विक्रमी में महाराष्ट्र के ताहाराबाद नगर में हुआ था। वे ऋग्वेदीय वासिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण थे।

परिवार की भक्ति परंपरा और जन्म

महीपति जी के पिता दादो जी पंत पहले मुगल शासक की सेवा में थे। लेकिन किसी विशेष घटना से आकृष्ट होकर उन्होंने अहमदनगर जनपद के ताहाराबाद के मुसलमान शासक की प्रसन्नता से मुगलों से संबंध तोड़ लिया और ताहाराबाद में आकर बस गए। वे नियम से भगवान पांडुरंग का दर्शन करने पंढरपुर जाया करते थे। श्री विठ्ठल पांडुरंग की कृपा से ही उन्हें महीपति जी जैसे महाभागवत पुत्र प्राप्त हुआ। बचपन में महीपति जी भी अपने माता-पिता के साथ पंढरपुर की यात्रा में जाते थे। धीरे-धीरे उनमें भगवद्भक्ति बढ़ने लगी। उनकी माता गंगाबाई सदा उन्हें संतों और महात्माओं की महिमा बताती रहती थीं।

महीपति जी बचपन में अपने माता-पिता की देखा-देखी भगवान के पूजन और भजन में लगे रहते थे। उन्हें अच्छी तरह शिक्षा दी गई। उनका स्वभाव कोमल, मधुर और प्रेममय था। उन्हें संस्कृत, हिंदी, गुजराती, कन्नड़ी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। ऐसे परिवार में जन्म लेकर महीपति जी जैसे फूल खिले, जो भक्ति की खुशबू से सारे महाराष्ट्र को महका दिया। उनके पूर्वजों की भक्ति तो जैसे खून में घुली थी, और ये परंपरा महीपति जी में और भी चमक उठी। भगवान पांडुरंग की कृपा से उनका जन्म हुआ, और ये कृपा उनके पूरे जीवन में बरसती रही।

जीवन का मोड़: भक्ति की ओर पूर्ण समर्पण

महीपति जी ने सोलह साल की उम्र में पंढरपुर की यात्रा की। इसी समय उनके पिता का देहांत हो गया। घर और परिवार की देखभाल और भरण-पोषण का भार उनके कंधों पर आ पड़ा। वे कभी-कभी ताहाराबाद के शासक की राजसभा में भी जाते थे। उनका जीवन एक विशेष घटना से प्रभावित हुआ। वे कुलकर्णी का काम करते थे। एक दिन वे ताहाराबाद के जागीरदार की कचहरी से समय से पहले आकर भगवत्पूजा में लग गए। थोड़ा सा काम शेष रह गया था। जागीरदार का सिपाही आया। महीपति जी भगवान के ध्यान और चिंतन में लीन थे। भगवत्पूजा के समय व्यवधान होते देख उनके मन में बड़ा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। जागीरदार की कचहरी में जाकर शेष कार्य पूरा कर दिया।

घर आकर उन्होंने खुद को धिक्कारा और प्रतिज्ञा की कि आज से कुलकर्णी का काम नहीं करूंगा। भगवत्गुणानुवाद के लिए ही अपनी लेखनी का सदुपयोग करूंगा। वे भगवान पांडुरंग के भक्तिरंग में पूर्ण रूप से रंग गए। उन्होंने संतों और भक्तों का गुणानुवाद आरंभ किया। ऐसी मान्यता है कि उनके दीक्षागुरु संत तुकाराम थे। ऐसा कहा जाता है कि महीपति जी को संत तुकाराम ने स्वप्न में दर्शन देकर दीक्षित किया था। तुकाराम ने उनसे कहा कि मैंने अपने जीवन काल में नामदेव के अभंग-पदों की रचना का शेष कार्य पूरा किया था, आप संतों और भक्तों के चरित्र का वर्णन कीजिए।

संत तुकाराम की कृपा से उन्हें काव्य-स्फूर्ति प्राप्त हुई। महीपति जी ने संत तुकाराम की वंदना में कहा है कि उनका 'भक्ति-विजय' ग्रंथ प्रमाण है:

'नमू मद्गुरु तुकाराम, जेणे निरसिल भवभ्रम ।
आपुले नामी देऊनि प्रेम, भववन्धन निरसिले ।।'

अपने 'संतलीलामृत' और 'भक्तलीलामृत' में भी उन्होंने तुकाराम को बड़ी श्रद्धा और भक्ति से प्रणाम किया है। संत महीपति जी ने भगवान के भक्तों के चरित्र-लेखन को ही स्वधर्म स्वीकार किया। उनकी भगवद्भक्ति निरंतर बढ़ने लगी।

त्याग, सेवा और भक्ति का जीवन

संत महीपति जी उच्च कोटि के त्यागी थे। परोपकार और सेवा में वे सदा लगे रहते थे। एक बार महाराष्ट्र में भीषण अकाल पड़ा। महीपति जी ने अपने लिए केवल तुलसी पत्र रखकर अपना समस्त धन और अन्न अकाल पीड़ितों को दे दिया। भिक्षा मांगकर दिन बिताने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने अयाचक-वृत्ति स्वीकार कर ली। वे विठ्ठल के मंदिर में रहकर संतों के चरित्र लिखने लगे। योग-क्षेम का भार प्रभु संभाल ही लेंगे, ऐसा उनका अटल विश्वास था। रुक्मिणीनाथ विठ्ठल की कृपा से उन्होंने मराठी भक्ति-साहित्य में जो श्री-वृद्धि की, वह मौलिक और परम महत्वपूर्ण है। उन्होंने महाराष्ट्र को भक्ति-गंगा में स्नान करने का अवसर देकर असंख्य पुण्य कमाए।

महीपति जी भगवान पांडुरंग के बड़े भक्त थे। आषाढ़ कृष्ण दशमी से अमावस्या तक पांडुरंग का उत्सव मनाने की प्रथा उन्होंने ही प्रचलित की थी। भगवद्भक्ति के प्रचार में उनकी बड़ी रुचि थी। भक्ति को भगवान का ही स्वरूप मानते थे। भगवान के स्वरूप-चिंतन की भक्ति-भूमि पर उन्होंने कहा कि जो परम उदार हैं, जिनके गुणों का वर्णन शेष करते हैं, जिनका सदाशिव ध्यान करते हैं, वे जगजीवन हैं। जो ब्रह्मा के पिता हैं, चराचर की सृष्टि करने वाले हैं, माया पर नियंत्रण करने वाले हैं, वे ही पांडुरंग हैं। जो काल के शासक हैं, भव के श्रम को हरने वाले हैं, अपने भक्तों के प्रति गौरव बुद्धि वाले हैं, स्वाभिमानी हैं, वे ही जगदात्मा पांडुरंग हैं। पुराण जिनका वर्णन करते हैं, वेद जिनके संबंध में मौन धारण कर लेते हैं, जिनका सनक आदि ध्यान करते हैं, वे ही जगजीवन श्रीहरि हैं। जो भक्तों के कार्य करने वाले हैं, जिन्होंने पांडवों की सहायता की, जो विश्वलीला सूत्र को धारण करने वाले हैं, वे ही पंढरपुर में खड़े हैं।

रचनाएं और भक्ति दर्शन

महीपति जी ने भक्ति-साहित्य का निर्माण किया। संत-साहित्य के क्षेत्र में उन्हें विशिष्ट स्थान प्राप्त है। उन्होंने भक्त-चरित्र-लेखन के लिए नाभादास और ऊधव चिद्घन के ग्रंथों का आश्रय लिया। उनकी रचनाओं में संत मत और वैष्णव धर्म का समीचीन प्रतिपादन हुआ है। महीपति जी ने स्वीकार किया कि संतों और भक्तों के चरित्र-श्रवण से सत्वगुण, सद्गुण और भगवद्भक्ति का उदय होता है, तमोगुण का क्षय होता है। जिनकी हरिभक्तों के चरित्र में रुचि होती है, वे ही वास्तविक परमार्थी हैं। ऐसे लोगों को पंढरीनाथ अपने प्राण से भी अधिक चाहते हैं – प्रेम करते हैं।

महीपति जी ने कहा कि मैंने भक्त-चरित्र की रचना स्वयं नहीं की, यह तो पांडुरंग की कृपा का फल है, उनकी कृति है। उनकी स्वीकृति है:

'त वि ग्रन्थ वदविता पण्ढरीनाथ, हे जाणवे निश्चित ।
गन्थकर्ता पण्ढरीनाथ, प्रेमल भक्त जाणती ।।'

महीपति जी ने अपने ग्रंथों में अपनी अपार कवित्व-शक्ति का परिचय दिया है। उन्होंने अपनी पुण्यमयी कृति में शास्त्र की मर्यादा अक्षुण्ण रखी है। महीपति जी सगुणोपासक और अद्वैतवादी संत थे। महाभागवत मोरोपंत ने महीपति जी के ग्रंथों की बड़ी प्रशंसा की है। वे उनकी उक्तियों से बहुत प्रभावित थे।

उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं: 'भक्त विजय', 'कथासारामृत', 'भक्तलीलामृत' और 'संतलीलामृत'। इन ग्रंथों में उन्होंने संतों के जीवन का अमृत उड़ेला है। 'भक्त विजय' में तुकाराम जी को गुरु मानकर वंदना की है, और ये ग्रंथ जैसे भक्ति का प्रमाण हैं। 'संतलीलामृत' और 'भक्तलीलामृत' में भी तुकाराम जी को श्रद्धा से याद किया है। ये रचनाएँ पढ़कर मन में भक्ति की लहर उठती है, और लगता है जैसे संत खुद सामने आकर कथा सुना रहे हों। महीपति जी कहते थे कि ये ग्रंथ पांडुरंग ने खुद लिखवाए हैं, वे तो सिर्फ माध्यम हैं। ऐसे विनम्र भक्त की रचनाएँ अमर हैं, जो हमें भक्ति पथ पर चलने की प्रेरणा देती हैं।

समाधि और अमर विरासत

संत महीपति जी ने पचहत्तर साल की उम्र में संवत १८४७ विक्रमी श्रावण कृष्ण द्वादशी को समाधि ली। उनका जीवन भगवद्भक्ति का दर्पण था, वे परम भागवत थे। उनकी समाधि जैसे भक्ति की पराकाष्ठा थी, जहां वे प्रभु में लीन हो गए। लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है – उनकी रचनाएँ, उनकी भक्ति, उनका त्याग।

चुनावी धांधली के आरोप क्या है सच्चाई?

भारत के लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रही है। हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) और इसके नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग (ECI) पर वोटर लिस्ट में हेरफेर और चुनावी धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है, जो न केवल चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाती है, बल्कि आम जनता के बीच लोकतंत्र में विश्वास को भी प्रभावित करती है। इस लेख में हम इन आरोपों की गहराई में जाएंगे, तथ्यों को समझेंगे और इस मुद्दे को कई कोणों से देखेंगे।

1. आरोपों का आधार: राहुल गांधी और कांग्रेस का दावा

कांग्रेस और राहुल गांधी ने हाल के महीनों में कई बार ECI पर गंभीर सवाल उठाए हैं। 1 अगस्त 2025 को, कांग्रेस ने X पर पोस्ट किया कि उनके पास "100% सबूत" हैं कि ECI वोट चोरी में शामिल है, और यह काम भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए किया जा रहा है। राहुल गांधी ने विशेष रूप से बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट और महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में धांधली के दावे किए।

उनका कहना है कि वोटर लिस्ट में लाखों फर्जी वोटर शामिल किए गए हैं। उदाहरण के लिए, महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,00,250 वोट चोरी होने का दावा किया गया। इसके अलावा, कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि ECI डिजिटल और मशीन-रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहा, और वीडियो सबूतों को क्यों नष्ट किया जा रहा है। ये आरोप न केवल ECI की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं, बल्कि यह भी संकेत देते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलीभगत हो सकती है।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर उनके सबूत सामने आए, तो पूरे देश को पता चल जाएगा कि ECI की निष्पक्षता संदेह के घेरे में है। यह दावा भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि अगर ये आरोप सही हैं, तो यह लोकतंत्र की नींव को हिला सकता है।

2. ECI का जवाब: कितना ठोस?

चुनाव आयोग ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी को 12 जून 2025 को पत्र और ईमेल भेजा गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ECI ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी ने कभी भी किसी मुद्दे पर आयोग को पत्र नहीं लिखा। इससे यह सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस और राहुल गांधी के पास वाकई ठोस सबूत हैं, या ये आरोप सिर्फ राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हैं।

ECI ने अपने बयान में यह भी कहा कि उनकी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और वे निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन, कांग्रेस के सवाल—जैसे कि डिजिटल वोटर लिस्ट की अनुपलब्धता और वीडियो सबूतों को नष्ट करने का दावा—पर ECI का कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया। यह स्थिति आम जनता के बीच भ्रम पैदा करती है, क्योंकि अगर ECI पूरी तरह पारदर्शी है, तो डिजिटल वोटर लिस्ट देने में क्या दिक्कत है?

3. जनता का विश्वास: लोकतंत्र पर खतरा?

चुनावी धांधली के आरोप न केवल ECI की साख पर सवाल उठाते हैं, बल्कि आम जनता के बीच लोकतंत्र में विश्वास को भी कमजोर करते हैं। भारत जैसे देश में, जहां लोकतंत्र एक गर्व का विषय है, ऐसे आरोप जनता के मन में संदेह पैदा कर सकते हैं। X पर कई यूजर्स ने इन आरोपों का समर्थन किया और कहा कि अगर ये सच हैं, तो यह देश के भविष्य के लिए खतरनाक है।

वहीं, कुछ लोग मानते हैं कि ये आरोप सिर्फ विपक्ष की रणनीति हैं, ताकि सत्ताधारी पार्टी को बदनाम किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि अगर ECI सचमुच निष्पक्ष है, तो उसे इन आरोपों का जवाब देने के लिए और पारदर्शी कदम उठाने चाहिए। उदाहरण के लिए, डिजिटल वोटर लिस्ट को सार्वजनिक करना एक आसान कदम हो सकता है, जो जनता का भरोसा बढ़ाएगा।

इसके अलावा, हाल के वर्षों में EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) पर भी कई सवाल उठे हैं। राहुल गांधी ने EVM घोटाले की बात कही, जिसके लिए उन्होंने छह महीने तक सबूत इकट्ठा करने का दावा किया। अगर जनता को लगने लगा कि उनकी वोट की कीमत नहीं है, तो यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा।

4. पारदर्शिता की मांग: प्रदर्शन और रास्ता आगे

कांग्रेस ने इन मुद्दों को लेकर देशभर में प्रदर्शन शुरू किए हैं। वे डिजिटल वोटर लिस्ट और पूरी पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। ये प्रदर्शन न केवल ECI पर दबाव डाल रहे हैं, बल्कि आम जनता को भी इस मुद्दे के प्रति जागरूक कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रदर्शन कोई ठोस नतीजा देंगे, या सिर्फ राजनीतिक शोर बनकर रह जाएंगे?

पारदर्शिता के लिए कुछ कदम जरूरी हैं। पहला, ECI को डिजिटल वोटर लिस्ट को सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि कोई भी इसकी जांच कर सके। दूसरा, वीडियो सबूतों को नष्ट करने के दावों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। तीसरा, EVM की विश्वसनीयता पर एक बार फिर से खुले तौर पर बहस होनी चाहिए, जिसमें सभी पक्षों को शामिल किया जाए।

इन कदमों से न केवल जनता का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि भविष्य के चुनावों में निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। अगर ECI इन सवालों का जवाब नहीं देता, तो यह आरोप और मजबूत होंगे, जिससे लोकतंत्र पर और बड़ा संकट आ सकता है।

5. भविष्य की चुनौतियां

चुनावी धांधली के ये आरोप भारत के लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हैं। एक तरफ, कांग्रेस और राहुल गांधी का दावा है कि उनके पास ठोस सबूत हैं, जो ECI की साख पर सवाल उठाते हैं। दूसरी तरफ, ECI का कहना है कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। इस बीच, आम जनता असमंजस में है कि सच क्या है।

लोकतंत्र की ताकत जनता के भरोसे में है। अगर यह भरोसा टूटता है, तो इसका असर न केवल मौजूदा सरकार पर, बल्कि पूरे सिस्टम पर पड़ेगा। इसलिए, जरूरी है कि ECI और सरकार इन आरोपों को गंभीरता से लें और पारदर्शी तरीके से जवाब दें। डिजिटल वोटर लिस्ट, स्वतंत्र जांच और EVM पर खुली बहस जैसे कदम इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

अंत में, यह सवाल हर भारतीय से है—क्या हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है कि इन चुनौतियों का सामना कर सके? जवाब समय देगा, लेकिन इसके लिए हमें जागरूक और सक्रिय रहना होगा।

बीज मंत्र

ध्वनि से दिव्यता तक की साधना

बीज मंत्र कोई साधारण ध्वनि या शब्द नहीं, बल्कि दिव्यता का अनुभव कराने वाला माध्यम है। इसे केवल बोलना या सुनना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह स्वयं में देवत्व का अंश समेटे हुए होता है। मंत्र योग संहिता के अनुसार जब साधक को सद्गुरु की कृपा से बीज मंत्र का अर्थ-ज्ञान प्राप्त होता है, तब उसकी साधना सहज और फलदायी हो जाती है।

कहा जाता है कि अर्थ-ज्ञान के बिना किया गया जाप कितनी भी मात्रा में क्यों न हो, साधना पूर्ण नहीं होती। मंत्र का स्वरूप केवल उच्चारण में नहीं, बल्कि उसके भाव और उद्देश्य में छिपा होता है। जब साधक यह समझ लेता है कि उसका बीज मंत्र उसे कहाँ तक ले जा सकता है, तभी वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाता है।बीज मंत्रों की शक्ति अनंत और असीमित है। इन्हें 'सर्वे सर्वार्थ वाचका:' कहा गया है — अर्थात इनमें हर अर्थ समाहित है। लेकिन जब किसी विशेष देवता के अनुष्ठान में इनका प्रयोग होता है, तब ये उस देवता के साथ जुड़कर विशेष अर्थ धारण कर लेते हैं। इस गूढ़ रहस्य को जानना साधक के वश में नहीं, यह केवल गुरु कृपा से ही संभव है।

बीज मंत्रों को समझने का एक सरल दृष्टांत बीज गणित से लिया जा सकता है। जिस प्रकार गणित में 'x', 'y', 'z' जैसे प्रतीकों को विशेष संख्याओं का प्रतिनिधि माना जाता है और सही उत्तर इन्हीं प्रतीकों के मान पर निर्भर करता है, उसी प्रकार बीज मंत्र के गूढ़ संकेत और अर्थ को भी गुरु ही स्पष्ट करते हैं। साधक जब गुरु की शरण में रहकर इनका अभ्यास करता है, तभी उसे वास्तविक फल मिलता है।बीज मंत्र केवल ध्वनि नहीं, एक गणित है, एक विज्ञान है। इनके प्रयोग और उनके अर्थ का सीधा संबंध साधना की सफलता से है। यही कारण है कि विश्वभर में इन्हें मान्यता मिली है और करोड़ों साधक इनके चमत्कारिक परिणाम के साक्षी बने हैं। अंततः यही कहा जा सकता है कि बीज मंत्र केवल जपने भर से सिद्ध नहीं होते। इसके पीछे भाव, अर्थ और गुरु कृपा का संगम आवश्यक है। सद्गुरु की कृपा से ही साधक बीज मंत्र का वास्तविक रहस्य समझ पाता है और तभी मंत्र उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम होता है।इस पावन अवसर पर हम केवल यही संकल्प लें कि बीज मंत्रों को सतही रूप में न लें, बल्कि उनकी गहराई, उनके विज्ञान और उनके दिव्य रहस्य को गुरु के माध्यम से आत्मसात करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में यही हमारी कृतज्ञता और नमन है।

माँ दुर्गा के पाठ से दुखों से मुक्ति के अनूठे अनुभव

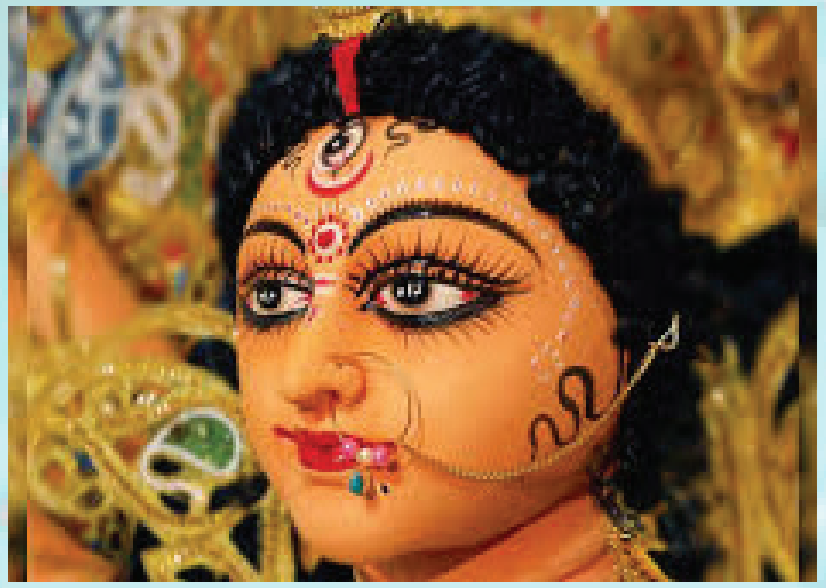

लाचार जीवन में लौटा नया जीवन — आस्ट्रेलिया के डाक्टर भी ठीक नहीं कर सके बीमारी

पूनम रानी, सिडनी

मेरा नाम पूनम रानी है, और मैं सिडनी, आस्ट्रेलिया में रहती हूँ। एक समय था जब मेरी रीढ़ की हड्डी में जबरदस्त इंफेक्शन हो गया था, जिसके कारण रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सिकुड़ गई थी। इस बीमारी के बारे में जानकर मैं बहुत घबराई और रोने लगी। आस्ट्रेलिया में दोबारा सीटी स्कैन कराने के बाद डाक्टरों ने कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और यह उम्र बढ़ने के साथ और अधिक बढ़ेगा। इस दर्दनाक बीमारी के कारण मेरी पीठ और कमर में असहनीय दर्द रहता था, जिससे मुझे उठने-बैठने में कठिनाई होती थी। मेरे लिए सामान्य कार्य भी मुश्किल हो गए थे।

एक वरिष्ठ डाक्टर ने कहा कि मेरा रोग असाध्य है, लेकिन मैं इस घबराहट के बीच परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के दिव्य बीज पाठ से आशा की किरण देखने लगी। दिव्य पाठ के प्रभाव से मेरी तबियत में धीरे-धीरे सुधार हुआ और अब मैं पूरी तरह स्वस्थ महसूस करती हूँ।

डाक्टरों के जवाब देने के बाद भी लीवर कैंसर ठीक हुआ

अवतार कौर, लुधियाना

मेरा नाम अवतार कौर है और मैं पंजाब के लुधियाना जिले की रहने वाली हूँ। मेरे जीजा बलदेव सिंह जी को लीवर का कैंसर हो गया था। डाक्टरों ने कह दिया था कि उनका बचना नामुमकिन है। हालांकि, मैंने सद्गुरुदेव जी से दिव्य बीज पाठ की कृपा ली और अपने जीजाजी के लिए संकल्प लेकर पाठ करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद, कैंसर के टेस्ट कराए गए और हम हैरान रह गए कि जीजाजी का लीवर कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया। यह सब सद्गुरुदेव जी की कृपा और उनके दिव्य बीज पाठ के प्रभाव से संभव हुआ।

ब्रेन हैमरेज के बावजूद बच गई जान

रतन लाल, उज्जैन

मेरा नाम रतन लाल है, और मैंने स्वयं अपनी आंखों से मंत्रों की शक्ति को देखा है। मेरी पत्नी को अचानक ब्रेन हैमरेज हो गया था, और डाक्टरों ने कहा था कि अगर वह बच भी गईं तो उन्हें गंभीर लकवा हो सकता है। कई डॉक्टरों से सलाह लेने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद मैंने सद्गुरुदेव जी के दिव्य बीज मंत्रों का पाठ किया। पाठ के प्रभाव से मेरी पत्नी की हालत में अभूतपूर्व सुधार हुआ और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गईं।

20 साल पुराने बीपी के रोग से मुक्ति

कांता देवी, गुड़गांव

मेरा नाम कांता देवी है और मैं पिछले 20 वर्षों से ब्लड प्रेशर (बीपी) की बीमारी से परेशान थी। बीपी के कारण मुझे हमेशा असहनीय दर्द रहता था और मुझे कई गोलियाँ खानी पड़ती थीं। जब कोई इलाज कारगर नहीं आया, तो मैंने सद्गुरुदेव जी से दिव्य बीज मंत्र ग्रहण किए। नियमित रूप से पाठ करने से मेरा 20 साल पुराना बीपी का रोग पूरी तरह ठीक हो गया। अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और कोई परेशानी नहीं महसूस करती।

सेना में जाने का सपना साकार हुआ

राजकुमार, लुधियाना

मेरा नाम राजकुमार है और मैं पंजाब के लुधियाना जिले का निवासी हूँ। मेरे बेटे का सपना था कि वह सेना में भर्ती हो, लेकिन कड़ी मेहनत और प्रयासों के बावजूद वह सफल नहीं हो पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मुझे सद्गुरुदेव जी के बारे में पता चला और मैंने अपने बेटे के लिए दिव्य बीज मंत्र ग्रहण किए। कुछ समय बाद, भगवान की कृपा से और सद्गुरुदेव जी के आशीर्वाद से मेरा बेटा सेना में भर्ती हो गया।

प्लंबर के खाते में अचानक पहुँचे 1 खरब

खाते में खरबों रुपये देखकर उड़ गए होश, बैंक ने लगाया फ्रीज़िंग ऑर्डर

@ आनंद मीणा

बिहार चुनाव चर्चा में है। पर चुनाव के अलावा भी वहां से सुर्खियां आती रहती हैं। बिहार से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। बिहार के जमुई जिले के एक गांव अचहरी के रहने वाले टेनी मांझी है तो प्लंबर और जयपुर में मजदूरी करते हैं। लेकिन वह अचानक से सुर्खियों में आ गए। वो भी तब जब उनके खाते में 1 खरब क्रेडिट हो गए। ऐसा खाता जो सालों पहले सिर्फ मजदूरी के पैसों को जमा करने के लिए खुलवाया गया था और जिसमें कभी हजार तो कभी 2000 ही आया जाया करते थे। उसमें एक दिन अचानक खरबों की रकम दिखाई दे जाए तो यह किसी के भी होश उड़ा सकता है।

टेनी मांझी ने जैसे ही पैसे निकालने की कोशिश करी, बैंक ने उनका खाता फ्रीज कर दिया। अब हालात यह है कि वो 500 तक भी नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या यह साइबर अटैक था या फिर बैंकिंग सिस्टम की कोई गड़बड़ी? इस लेख में इस पूरे मामले पर बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि खाते में गलती से आए इन पैसों का असली हकदार कौन होता है। और ये भी समझेंगे कि आखिर कैसे किसी अकाउंट में इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफर हो सकता है।

देखा जाए तो कई बार बैंकों के कंप्यूटर सिस्टम में टेक्निकल एरर हो जाता है। जब बैंक के सॉफ्टवेयर में कोई कोडिंग मिस्टेक होती है तो अमाउंट गलत दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए किसी सिस्टम में 1 लाख डालने की कोशिश की लेकिन कोडिंग में गलती की वजह से रकम 1 करोड़ बनकर दिखने लगी। इस तरह की गलती को टेक्निकल लैंग्वेज में इंटीग्र ओवरफ्लो या फिर डेसिमल की एंट्री गलत कहा जाता है। यानी कि जीरो या डेसिमल का गड़बड़ हो जाना।मांझी के केस में जो हुआ वो 10 खरब से ज्यादा की रकम का एक फ्रॉड था। शुरुआती नजर में देखा जाए तो यह टेक्निकल ग्लिच लग रही है। लेकिन जरूरी नहीं कि ये टेक्निकल एरर या गड़बड़ी हो। इतनी बड़ी रकम का अचानक किसी के अकाउंट में आ जाना किसी बड़े साइबर फ्रॉड या हैकिंग की तरफ इशारा करता है।

कई बार हैकर्स जानबूझकर बैंकों के सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वो पहले लूप होल को खोजते हैं। टेस्टिंग के तौर पर वो किसी ऐसे खाते में बड़ी रकम भेजते हैं जो ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आता। जैसे कोई मजदूर हो या गांव का कोई आम आदमी। फिर वो देखते हैं कि बैंकिंग सिस्टम उस ट्रांजैक्शन पर कैसे रिएक्ट करता है। कोई अलर्ट आता है या नहीं आता है। सिस्टम उस एंट्री को पकड़ता है या नहीं पकड़ता है वगैरह-वगैरह। इस तरह के टेस्ट को साइबर प्रोबिंग कहा जाता है।

और यह भी हो सकता है कि यह पूरा मामला किसी मनी लॉन्ड्रिंग या काले धन को सफेद करने की साजिश रहा हो। जैसे कि जामताड़ा के साइबर क्रिमिनल करते हैं। क्योंकि कई बार ठग या फिर अपराधी काफी ज्यादा अमाउंट में पैसों को सिस्टम से छुपाने की कोशिश करते हैं और उन्हें छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर कई दूसरे खातों में भेजते हैं।

आमतौर पर यह ट्रांजैक्शन इतने छोटे होते हैं कि बैंकों की नजर से बच जाए। लेकिन अगर सिस्टम का कंट्रोल कोई खो दे या गलती हो जाए तो यह पूरी रकम गलती से किसी एक ही खाते में पहुंच जाती है। जैसा कि मांझी के केस में हुआ है।

इसके अलावा कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि बैंक के किसी एंप्लॉय से गलती हो जाए या फिर स्कैम करने के लिए जानबूझकर अमाउंट को गलत जगह ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन अब बैंकों में ऐसे बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए मल्टी लेवल अप्रूवल्स की जरूरत होती है। और फिर भी अगर सिस्टम का टेस्टिंग डाटा गलती से लाइव एनवायरमेंट में चला जाता है तो यह बैंक की बड़ी गलती मानी जाती है। ऐसे में इसकी जांच जरूरी हो जाती है।ऐसा पहली बार नहीं है कि जब इतना बड़ा अमाउंट किसी के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया हो। क्योंकि इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे केसेस होते आए हैं। ऐसा ही एक मामला 2021 में बिहार के ही खगड़िया से सामने आया। यह मामला इसलिए खबरों में आया क्योंकि एक स्टूडेंट के अकाउंट में अचानक से 962 करोड़ आ गए थे।

उसका यह अकाउंट स्कूल स्कॉलरशिप के लिए खोला गया था और परिवार वालों को लगा कि शायद सरकार ने बच्चे के लिए कोई नई स्कीम शुरू की है। जिस वजह से यह पैसा आया है। लेकिन बाद में पता चला कि यह तो उसके अकाउंट में गलती से ट्रांसफर हुआ अमाउंट है।

2022 में झारखंड की रामगढ़ की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला के खाते में भी अचानक से 1 करोड़ से ज्यादा आ गए थे। कुछ ऐसा ही हुआ। 2020 में असम में एक चाय बेचने वाले शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। कोविड के टाइम उसके अकाउंट में 1 करोड़ से भी ज्यादा आ गया। तो उसे लगा कि सरकार शायद किसी स्कीम के चलते यह पैसे दे रही है और उसने तो इन पैसों से बाइक भी खरीदी और दुकान का सामान भी अपग्रेड कर लिया। लेकिन कुछ ही दिन बाद बैंक की टीम और साइबर पुलिस उसके घर पर पहुंची और उन्होंने बताया कि यह रकम गलती से उसके खाते में ट्रांसफर हो गई है।

ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश से भी आया। जहां एक लड़के के खाते में करीब 5 करोड़ की रकम आ गई थी। तो उसने पैसे निकालकर ट्रैक्टर खरीद लिया और बाकी जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया।

तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और मोस्टली केसेस में लोग इन पैसों को अपना समझकर खर्च करना शुरू कर देते हैं। पर आपको यह बात समझना जरूरी है कि क्या यह पैसा वाकई में आपका पैसा है या किसी और को वापस लौटाना होगा।

आपको बता दूं कि अचानक से पैसा जब भी अकाउंट में आ जाता है तो ज्यादातर लोगों के मन में यही ख्याल आता है कि यह पैसा अब तो मेरा हो गया। मेरी किस्मत खुल गई या फिर सरकार ने भेजा है। कुछ लोग तो ऐसे पैसों को वापस लौटाने से साफ मना कर देते हैं। लेकिन कानून की नजर में ऐसा करना एक बड़ी गलती हो सकता है। जिसके चलते आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और कुछ केसेस में सजा का भी प्रावधान है।

भारत के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 72 में साफ लिखा है कि अगर किसी के खाते में गलती से पैसा आ जाए तो उसे वह पैसा लौटाना जरूरी है। मतलब चाहे वो गलती बैंक की हो या किसी और इंसान की या वजह जो भी हो अगर वो पैसा आपके खाते में गलती से आ गया है तो आपको उस पर कोई भी कानूनी हक नहीं मिलता है।

अगर आप जानबूझकर उस पैसे को खर्च करने लगते हैं या वापस देने से मना करते हैं तो यह कानून के हिसाब से अपराध माना जाता है। इसके अलावा कानून में एक और रूल है या यूं कहें कि एक प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं अनजस्ट एनरचमेंट। यानी कि गलत तरीके से हुआ फायदा।

इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक ही अगर किसी को कोई ऐसा फायदा मिलता है जिस पर उसका हक नहीं है तो उसे वो फायदा लौटाना पड़ता है। कोर्ट में भी अक्सर ऐसे मामलों में यही फैसला दिया जाता है कि पैसा उस असली मालिक को लौटाया जाए।

बैंक भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में पहले से ही यह साफ कर देता है कि अगर किसी खाते में गलती से कोई रकम ट्रांसफर हो जाए तो बैंक को पूरा हक है कि वह उस रकम को बिना बताए या नोटिस देकर वापस ले सकता है और जरूरत पड़ी तो खाते को फ्रीज भी किया जा सकता है।तो अब सोचिए कि अगर उस पैसे को निकालकर कोई खर्च कर लेता है तो वह सिर्फ बैंकिंग रूल्स का वायलेशन नहीं कहलाएगा बल्कि भारतीय न्याय संहिता के तहत कानूनी अपराध माना जाएगा। और ऐसे मामलों में तीन बड़ी धाराएं लग सकती हैं।

एक बीएनएस की धारा 403। यानी कि अगर आपने किसी और की रकम को जानबूझकर अपने काम में ले लिया है तो इसे डिसऑनेस्ट मिसएप्शन यानी कि बेईमानी से इस्तेमाल किया गया पैसा माना जाता है। दूसरी धारा 406। जिसमें अगर आपको किसी ने भरोसे से रकम दी हो और आपने उसका गलत फायदा उठाया हो तो यह क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि विश्वासघात माना जाता है। तीसरी धारा है 420। जिसमें अगर आपने जानबूझकर धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर किसी से पैसा लिया है तो यह भी धारा आपको लग सकती है।तो इन धाराओं के तहत जेल की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यानी ऐसा पैसा इस्तेमाल करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है।

टेनी मांझी के केस में फिलहाल उन्होंने कोई पैसा निकाला नहीं। मतलब इस सोच के साथ नहीं निकाला कि यह पैसा तो अब मेरा है। उसने रेगुलर बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस करने थे उसके लिए अपना स्कैनर, अपना यूपीआई इस्तेमाल किया था। लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी बैंक को दे दी थी। यही वजह है कि अभी तक उसके ऊपर कोई आरोप या कोई केस दर्ज नहीं किया गया।लेकिन फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी खबर दे दी गई थी और साइबर पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है।

पीएम मोदी के संभावित चीन दौरे से गर्माए
भारत-चीन रिश्ते

@ सुमित शुक्ला

महीने के अंत में होने जा रहे शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शिखर सम्मेलन को लेकर भारत और चीन दोनों देशों में हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन का दौरा कर सकते हैं। हालांकि अभी तक दोनों देशों की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। यह सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितम्बर तक चीन के तियानजिन शहर में आयोजित होगा, जिसकी मेजबानी राष्ट्रपति शी जिनपिंग करेंगे।

चीन के मीडिया में दिखी खुशी

पीएम मोदी के संभावित दौरे की खबर को चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा कि भारत और चीन को प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सहयोगी साझेदार के रूप में देखना चाहिए। इसमें कहा गया कि दोनों देश मिलकर दुनिया की एक तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैश्विक स्तर पर उनकी अर्थव्यवस्था और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है।

ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिकी पत्रिका द डिप्लोमैट का हवाला देते हुए लिखा कि अब समय आ गया है कि भारत और चीन एक बार फिर संवाद की नई शुरुआत करें। अखबार ने दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग की संभावनाओं को रेखांकित किया।

गलवान से कजान तक का सफर

भारत-चीन संबंधों में 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से ठंडापन बना रहा। लेकिन अक्टूबर 2024 में कजान में हुए सम्मेलन के दौरान भारतीय और चीनी नेतृत्व की मुलाकात ने रिश्तों में नई ऊर्जा भरी। उसके बाद से दोनों देशों ने बातचीत और सहयोग की राह पर कदम बढ़ाए। इस वर्ष जून से लेकर अब तक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. सुब्रमण्यम क्रमशः चीन का दौरा कर चुके हैं। इस स्तर पर इतना गहन संपर्क हाल के वर्षों में पहली बार देखा गया है। दोनों देशों के बीच नागरिकों की आवाजाही बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं, जिसने सकारात्मक संकेत दिए हैं।

भारत-चीन को बताया अवसर

ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में स्पष्ट किया कि भारत और चीन एक-दूसरे के लिए खतरा नहीं, बल्कि विकास का अवसर हैं। दोनों को सहयोगी साझेदार के रूप में देखा जाना चाहिए। लेख में कहा गया कि अगर प्रधानमंत्री मोदी इस बार चीन की यात्रा करते हैं, तो यह दोनों देशों के रिश्तों में सकारात्मक गति को और मजबूत करेगा।

अखबार ने यह भी लिखा कि भारत इस यात्रा को अपनी चीन नीति में बदलाव लाने और अड़चनों को दूर करने के अवसर के रूप में देख सकता है। इससे संबंधों को नई दिशा मिल सकती है।

चीन ने कहा भारत की विदेश नीति है स्वतंत्र

चीन ने अपने लेख में यह भी टिप्पणी की कि वॉशिंगटन का नई दिल्ली को तथाकथित हिंद-प्रशांत रणनीति में शामिल करने का प्रयास भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के अनुरूप नहीं है। चीन ने उम्मीद जताई कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए चीन के साथ संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के अवसर का लाभ उठाएगा।

अमेरिका से तुलना नहीं

ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा कि मोदी की यह संभावित यात्रा भारत-अमेरिका व्यापार विवाद से जोड़कर नहीं देखी जानी चाहिए। हाल ही में अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ में वृद्धि की थी। लेकिन चीन का मानना है कि भारत और चीन का सहयोग किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह दो प्राचीन सभ्यताओं और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग का प्रतीक है।

नतीजों पर टिकी निगाहें

अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वास्तव में चीन जाते हैं या नहीं। अगर यह दौरा होता है तो यह न केवल भारत-चीन संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है, बल्कि एशिया और वैश्विक राजनीति के लिए भी अहम साबित होगा।

पीएम मोदी का यह संभावित चीन दौरा केवल एक सम्मेलन में भागीदारी नहीं, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देने का एक अवसर है।

इनकम टैक्स बिल 2025: वापसी और भविष्य की राह

8 अगस्त 2025 को भारत सरकार ने इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस ले लिया, जिसे फरवरी 2025 में लोकसभा में पेश किया गया था। यह बिल 1961 के पुराने इनकम टैक्स एक्ट को बदलने के लिए लाया गया था। सरकार का मकसद था टैक्स सिस्टम को आसान, आधुनिक और पारदर्शी बनाना। लेकिन, 31 सदस्यों वाली संसदीय सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशों और स्टेकहोल्डर्स की राय के बाद, सरकार ने इस बिल को वापस लेकर इसमें बदलाव करने का फैसला किया। नया बिल 11 अगस्त 2025 को संसद में पेश होगा। इस लेख में हम इस बिल की वापसी के कारण, कमेटी की सिफारिशें, टैक्सपेयर्स और बिजनेस पर असर, और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को आसान हिंदी में समझेंगे।

1. बिल की वापसी: क्या हुआ और क्यों?

इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस लेने का फैसला सरकार ने तब लिया जब सिलेक्ट कमेटी ने अपनी 4,584 पेज की रिपोर्ट में 285 सिफारिशें दीं। इस कमेटी की अगुवाई बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा ने की थी। कमेटी ने बिल में कई खामियां और अस्पष्टता पाई, जैसे कि ड्राफ्टिंग में गलतियां, टर्मिनोलॉजी में दिक्कत, और क्रॉस-रेफरेंसिंग की कमी। सरकार ने फैसला किया कि कई वर्जन से कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए एक नया, साफ और अपडेटेड बिल लाना बेहतर होगा।

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह वापसी टैक्स रिफॉर्म को छोड़ने का कदम नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक कदम है ताकि बिल को और बेहतर बनाया जा सके। नया बिल 11 अगस्त को लोकसभा में पेश होगा, जिसमें कमेटी की ज्यादातर सिफारिशें शामिल होंगी। यह कदम दिखाता है कि सरकार स्टेकहोल्डर्स की राय को गंभीरता से ले रही है और एक ऐसा टैक्स सिस्टम बनाना चाहती है जो सबके लिए फेयर और आसान हो।

इसके अलावा, बिल की वापसी का एक कारण यह भी था कि पुराने बिल में कई ऐसी बातें थीं जो टैक्सपेयर्स और बिजनेस के लिए कन्फ्यूजिंग हो सकती थीं। उदाहरण के लिए, कुछ डेफिनिशन्स जैसे "बेनिफिशियल ओनर" और "पैरेंट कंपनी" को और साफ करने की जरूरत थी। सरकार ने यह सुनिश्चित करना चाहा कि नया बिल लागू होने पर कोर्ट में लंबे विवाद न हों।

2. सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशें: क्या बदलेगा?

सिलेक्ट कमेटी ने बिल को बेहतर बनाने के लिए कई जरूरी सुझाव दिए। इनमें से कुछ खास सिफारिशें हैं:

टैक्स रिफंड की आसानी: पुराने बिल में एक नियम था कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) ड्यू डेट के बाद फाइल किया जाता है, तो रिफंड नहीं मिलेगा। कमेटी ने इस नियम को हटाने की सलाह दी ताकि छोटे टैक्सपेयर्स को राहत मिले। अब अगर कोई गलती से ड्यू डेट मिस कर देता है, तो भी उसे रिफंड मिल सकता है।

इंटर-कॉरपोरेट डिविडेंड डिडक्शन: पुराने बिल में सेक्शन 80M के तहत इंटर-कॉरपोरेट डिविडेंड डिडक्शन का प्रावधान गायब था। कमेटी ने इसे दोबारा शामिल करने को कहा, खासकर उन कंपनियों के लिए जो सेक्शन 115BAA के तहत स्पेशल टैक्स रेट लेती हैं।

निल TDS सर्टिफिकेट: कमेटी ने सुझाव दिया कि टैक्सपेयर्स को निल TDS सर्टिफिकेट लेने की सुविधा दी जाए। इससे कुछ खास मामलों में टैक्स डिडक्शन से छूट मिलेगी, जो छोटे बिजनेस और इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद होगा।

हाउस प्रॉपर्टी के लिए डिडक्शन: कमेटी ने सुझाव दिया कि 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो म्युनिसिपल टैक्स के बाद मिलता है, उसे बिल में साफ तौर पर लिखा जाए। साथ ही, होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन को सिर्फ सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तक सीमित न रखकर रेंटेड प्रॉपर्टी के लिए भी लागू किया जाए।

नॉन-प्रॉफिट और चैरिटेबल ट्रस्ट: कमेटी ने सुझाव दिया कि एनोनिमस डोनेशन्स को टैक्स छूट से बाहर न किया जाए, खासकर उन ट्रस्ट्स के लिए जो सिर्फ धार्मिक काम करते हैं। साथ ही, "इनकम" और "रिसीट्स" जैसे टर्म्स को साफ करने की बात कही।

MSME डेफिनिशन: कमेटी ने कहा कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज की डेफिनिशन को MSME एक्ट के साथ अलाइन किया जाए ताकि बिजनेस के लिए टैक्स नियम आसान हों।

इन सुझावों का मकसद टैक्स सिस्टम को आसान, पारदर्शी और टैक्सपेयर-फ्रेंडली बनाना है। कमेटी ने यह भी सुनिश्चित किया कि पुराने 1961 के एक्ट के कुछ रेफरेंस हटाए जाएं, ताकि नया बिल पूरी तरह से सेल्फ-कंटेन्ड हो।

3. टैक्सपेयर्स और बिजनेस पर असर

इस बिल की वापसी और इसके रिवाइज्ड वर्जन का टैक्सपेयर्स और बिजनेस पर कई तरह से असर होगा। सबसे पहले, टैक्स रिफंड और निल TDS सर्टिफिकेट जैसे बदलाव छोटे टैक्सपेयर्स और स्मॉल बिजनेस के लिए राहत की बात हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई फ्रीलांसर या छोटा बिजनेस ओनर ड्यू डेट मिस कर देता है, तो उसे रिफंड मिलने में दिक्कत नहीं होगी।

कंपनियों के लिए, इंटर-कॉरपोरेट डिविडेंड डिडक्शन का दोबारा शामिल होना एक बड़ा फायदा है। खासकर उन कंपनियों के लिए जो स्पेशल टैक्स रेट का फायदा उठाती हैं। इससे उनकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी और कैश फ्लो बेहतर होगा।

हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमाने वालों के लिए, होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन का रेंटेड प्रॉपर्टी तक बढ़ना एक अच्छी खबर है। इससे प्रॉपर्टी इनवेस्टर्स को टैक्स में राहत मिलेगी और रियल एस्टेट सेक्टर में इनवेस्टमेंट को बढ़ावा मिल सकता है।

हालांकि, कुछ टैक्सपेयर्स और बिजनेस ओनर्स को यह चिंता हो सकती है कि नया बिल लागू होने तक पुराने नियम ही लागू रहेंगे। इससे कुछ समय के लिए अनिश्चितता बनी रहेगी। लेकिन, सरकार का कहना है कि नया बिल 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिससे टैक्सपेयर्स को अडजस्ट करने का समय मिलेगा।

MSME सेक्टर के लिए, डेफिनिशन को MSME एक्ट के साथ अलाइन करने से टैक्स कंप्लायंस आसान होगा। स्मॉल बिजनेस को कम पेनल्टी और आसान नियमों का फायदा मिलेगा, जिससे उनका बिजनेस ग्रोथ आसान होगा।

4. अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: क्या बदलेगा?

इनकम टैक्स बिल 2025 का मकसद था भारत के टैक्स सिस्टम को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करना। इसकी वापसी और रिवाइज्ड वर्जन का अर्थव्यवस्था पर कई तरह से असर होगा। सबसे पहले, टैक्स सिस्टम को डिजिटल और ऑटोमेटेड बनाने की कोशिश से टैक्स कलेक्शन में पारदर्शिता बढ़ेगी और करप्शन की गुंजाइश कम होगी।

दूसरा, स्मॉल और मीडियम बिजनेस (MSMEs) के लिए आसान नियम और कम पेनल्टी से बिजनेस करने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। MSME सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और इसके लिए टैक्स कंप्लायंस आसान होने से जॉब क्रिएशन और GDP ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा।

तीसरा, चैरिटेबल ट्रस्ट्स और नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन्स के लिए टैक्स छूट को और साफ करने से सोशल सेक्टर में डोनेशन्स बढ़ सकते हैं। इससे हेल्थकेयर, एजुकेशन और रिलीजियस एक्टिविटीज को सपोर्ट मिलेगा।

हालांकि, बिल की वापसी से कुछ समय के लिए अनिश्चितता बढ़ सकती है। बिजनेस और टैक्सपेयर्स को नए नियमों के लिए अपने अकाउंटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर अपडेट करने होंगे। इससे शुरुआती लागत बढ़ सकती है, लेकिन लंबे समय में आसान कंप्लायंस से यह लागत बैलेंस हो जाएगी।

कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह बिल अगर सही तरीके से लागू हुआ तो टैक्स से जुड़े कोर्ट केस कम होंगे। पुराने 1961 के एक्ट में कई प्रावधान पुराने हो चुके हैं, और इन्हें हटाने से टैक्स सिस्टम ज्यादा क्लियर और लिटिगेशन-रेजिस्टेंट होगा।

5. भविष्य की राह: क्या उम्मीद करें?

नया बिल 11 अगस्त 2025 को संसद में पेश होगा, और उम्मीद है कि इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। टैक्सपेयर्स और बिजनेस को चाहिए कि वे इस बदलाव के लिए तैयार रहें। कुछ खास बातें जो भविष्य में देखने को मिल सकती हैं:

डिजिटल टैक्स प्रोसेस: नया बिल डिजिटल टूल्स और ऑटोमेशन पर ज्यादा फोकस करेगा। इससे टैक्स फाइलिंग और रिफंड का प्रोसेस तेज और आसान होगा।

कम लिटिगेशन: कमेटी की सिफारिशें जैसे क्लियर डेफिनिशन्स और पुराने प्रावधान हटाने से टैक्स से जुड़े विवाद कम होंगे।

टैक्सपेयर-फ्रेंडली अप्रोच: "ट्रस्ट फर्स्ट, स्क्रूटिनाइज लेटर" की नीति से ईमानदार टैक्सपेयर्स को कम परेशानी होगी। CBDT की "इनफोर्समेंट विथ एम्पैथी" पॉलिसी भी इसी दिशा में काम करेगी।

ग्लोबल स्टैंडर्ड्स: नया बिल क्रिप्टोकरेंसी और क्रॉस-बॉर्डर डिजिटल ट्रांजैक्शन्स जैसे नए स्रोतों से इनकम को टैक्स करने के लिए बेहतर फ्रेमवर्क लाएगा। इससे भारत का टैक्स सिस्टम ग्लोबल इकॉनमी के साथ और कनेक्ट होगा। इस बिल की वापसी को एक सेटबैक की बजाय एक स्मार्ट कदम के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार का फोकस एक ऐसा टैक्स सिस्टम बनाने पर है जो न सिर्फ आसान और पारदर्शी हो, बल्कि भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को भी सपोर्ट करे।

निष्कर्ष

इनकम टैक्स बिल 2025 की वापसी और इसका रिवाइज्ड वर्जन भारत के टैक्स सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लाने की दिशा में कदम है। सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशें, जैसे टैक्स रिफंड की आसानी, निल TDS सर्टिफिकेट, और MSME के लिए बेहतर नियम, दिखाते हैं कि सरकार टैक्सपेयर्स और बिजनेस की जरूरतों को समझ रही है। यह बदलाव न सिर्फ इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को राहत देगा, बल्कि MSME और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स को भी बूस्ट करेगा। हालांकि, नए बिल के लागू होने तक कुछ अनिश्चितता बनी रहेगी, लेकिन लंबे समय में यह भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। टैक्सपेयर्स और बिजनेस को चाहिए कि वे इस बदलाव के लिए तैयार रहें और नए नियमों को अपनाने के लिए अपने सिस्टम अपडेट करें।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

जनाब इस दौर के हम है नहीं शायर
हमारा दौर बीता सा जनाज़ा है

यहाँ हम बैर किससे किससे रक्खे हैं
हमारा ख़ुद का ख़ुद ही से तक़ाज़ा है

दिल-ए-जाँ कुछ नहीं होकर भी सब कुछ हो
लिहाज़ा बारहा क्या क्या नवाज़ा है

मुहब्बत एक से ही हो ज़रूरी है
मगर "शुभ" ये तेरा कैसा तमाशा है

रोक लेते जो बयान-ए-इश्क होता
दोस्ती में किस तरह कह सकते थे हम

वो हमी थे जिसने इस पर बात ना की
सारी दुनियाँ जानती क्या कहते थे हम

माह इमारत के उपर जा छुप गया है
इस लिए बस ताक तुझ को लेते थे हम

मंज़र-ए-तन्हाई ना सोग-ए-जुदाई
ना तुझे हालात-ए-दिल कह सकते थे हम

इस फ़िराक़-ए-यार का मतलब नहीं है
बे-मुहब्बत जाँ तरसते देखे थे हम

आलम-ए-ख़्वाबों में वक्त-ए-शाम हर रोज़
वाँ सिर-ए-आग़ोश करके लेटे थे हम

वस्ल के वक़्त तो कितने ही तो वा'दे निकले
कर्तब-ए-हिज्र में कितने ही प्यादे निकले

राह-ए-मरमर में फसे और अक़ीदा ना है
ना-समझ हम है कि जब लोग बताते निकले

ज़िंदगी एक अलग सा ही तो अफ़साना है
कितने ही नाम जनाज़े है गिनाते निकले

बंद कमरे में ही तामीर मुहब्बत
होता
धूप पड़ते ही बड़े रंग वफ़ा
के निकले

अब जनाज़े में मुलाक़ात
हमारी होगी
मरते मरते भी ये हक़ उन पे जताते निकले

एक कन्धे में ही दुनियाँ है हमारी उनके
चार कन्धे पे जनाज़ा क्यूँ उठाते निकले

दो तरफ़ तू खड़ी है एक हमे चुनना है
जाए घूँघट की तरफ जब या निकाले निकले

जब खड़ी हो गई है आज इमारत "शुभ" फिर
जाने इंसान और उनके क्या इरादे निकले

न जाने ख़ता क्यों हुई जिंदगी अब
न जाने सजा क्यों हुई बंदगी अब

न हम जानते है यें उल्फ़त की आदत
न तुम जानते हो मेरी दिल-लगी अब

बहुत से कदे है खड़े यूँ ही लेकिन
इधर मय-कदे सी कहाँ सादगी अब

बदलते दिनों को गिने कौन वाइज़!
दिन-ए-इब्तिदा सी नहीं ताज़गी अब

पिए जा रहे है बहुत मय इधर पर
नहीं दिखती है चश्म में आतशी अब

न हारेगा इश्क ओ न हारेगी साक़ी
हमें है हज़ारों कसम आपकी अब

ग़म-ए-हयात का अफ़साना कह नहीं सकते
जो दिल में जल रहे हैं अब वो बुझ नहीं सकते

हर इक सवाल पे ख़ामोशियाँ लबों की थीं
हमारे ज़ख़्म किसी से क्या
छुप नहीं
सकते

नसीब क्या है यही सोचते रहे मुद्दत
कहीं भी जाके मुक़द्दर बदल नहीं सकते

ज़माना ख़्वाब की ताबीर पूछता क्यूँ है
जो सो चुके हैं उन्हें फिर जगा नहीं सकते

नहीं है मौत मेरी तो मेरी हस्ती नहीं मेरी
न मिस्ल-ए-आतशी बाक़ी नहीं सोज़-ए-जबीं
मेरी

ये बातें ज़िन्दगी की है मुझे खाये रही जाती
नहीं है ये नशीं मेरी तो कैसे हम-नशीं मेरी

तड़प तेरी मेरी कह दें या ज़ौक़-ए-मर्ग कह
दें पर
बुझाई जाएगी शम्मा कहीं तेरी कहीं मेरी

सुना है फूल को माली से बच कर तोड़ लेते हैं
ज़रा पल्लू तो सम्हालो ओ जाने जां हसीं मेरी

नज़ा का वक़्त आया है निकल आओ ज़रा
साक़ी
निकलती रु-ब-रु में ही नफ़स आख़िर यहीं
मेरी

मैं हूँ मुंतज़िर उसी अहल-ए-जान का आन-
बान मुझे नहीं
तू भला है ज़ाहिद-ए-बुत-कदा मगर
इम्तिहान मुझे नहीं

तू ज़रा ज़रा सा कर इश्क पर मैं लुटा चुका हूँ
ख़म-ए-नज़र
मैं ख़ुदी को जानता
हूँ नहीं
कोई आरमान मुझे नहीं

ये तो आशिक़ी का वजूद है मेरे इम्तिहाँ का
नतीजा है
जहाँ में ठिकाना मिरा नहीं कोई आशियान मुझें
नहीं

इतनी ख़्वाहिश आप इतना ही काम कीजिये
नज़रें करके आप इधर फिर से शाम कीजिये

प्यासा हूँ मैं उनकी नज़रों का तो ऐ साक़ी
फिर
मेरी ओर आज एक और जाम कीजिये

पेट भरता है नहीं फ़स्ल-ए-इश्क से कभी
इस लिए ज़रा कहीं काम-धाम कीजिये

इस ज़माने में मुनासिब नहीं हूँ "शुभ" कभी
क्या ही नाम कीजिये क्या इनाम कीजिये

ऐ शमा तेरा हूँ परवाना तू जल जाने दे
तेरी आँखों के तलब में तू मचल जाने दे

मेरा ईमान धरम डूब गया है जाना
तेरे होंठों के समंदर में से धुल जाने दे

क्या छुपा है यहाँ पर मुझसे शमा जीते जी
मेरे हाथों को गले नीचे फिसल जाने दे

बड़े मुद्दत का मुसाफ़िर हूँ सफ़र पर चलता
तेरे गालों को मेरे गालों से मिल जाने दे

तेरी नज़रों से बहारें सुना आया करती
चल ज़रा जान के ग़ुल को मेरे खिल जाने दे

शुभ कछवाहा
किताब : बज़्म

150 साल पुरानी सेवा का अंत

डाकिए की घंटी से यादों तक, 1 सितंबर से रजिस्ट्री हमेशा के लिए बंद, अब सिर्फ स्पीड पोस्ट

@ अंकित कुमार

कुछ समय पहले स्कूल में चिट्ठी लिखने का एक पैटर्न सिखाया जाता था। जिसमें बच्चा अपने पिता को लिखता था कि पापा मैं कुशल मंगल से हूं। और आशा करता हूं कि घर पर भी सब ठीक होगा।फिर वो लिखता था कि किताबें खरीदने के लिए कुछ पैसों की उसको जरूरत है। तो कृपया डाक से भेज दीजिए।फिर पापा रजिस्ट्री से पैसे भेजते थे और पैसा सुरक्षित बेटे को मिल जाया करता था।

समय बदला और बदलते समय के साथ एटीएम आ गया। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा आ गई और यह रवायत ख़त्म हो गई। अब रजिस्ट्री से सिर्फ पैसा भेजने की ही नहीं बल्कि खुद रजिस्ट्री की सुविधा भी खत्म होने जा रही है।1 सितंबर 2025 से रजिस्ट्री की व्यवस्था पूरी तरह से बंद हो जाएगी। यानी कि आप डाक द्वारा कोई भी रजिस्ट्री नहीं भेज पाएंगे। लेकिन स्पीड पोस्ट की सुविधा बरकरार रहेगी लेकिन यह सुविधा खत्म होने वाली है।

आखिर क्यों रजिस्ट्री की व्यवस्था खत्म हो गई? आधिकारिक तौर पर बीते 1 अगस्त को आखिरी रजिस्ट्री भेजी गई थी। और जब यह जानकारी डाक विभाग के द्वारा दी गई कि रजिस्ट्री की सेवा समाप्त की जा रही है तो लोगों को नॉस्टाल्जिया हिट करने लगा।असल जिंदगी सिर्फ फिल्मों तक में। रजिस्ट्री करने और उसे पहुंचाने वाले डाकिया की एक इमेज हमारे जहन में सेट है।खाकी कपड़ा पहने, कंधे पर झोला लटकाए और साइकिल लिए वो घर-घर जाने वाला डाकिया।यूं तो साइकिलें खूब चलती थी। लेकिन डाकिए की साइकिल की घंटी की आवाज ने लोगों के दिमाग में अपनी पहचान दर्ज करा रखी थी।

यह सब अब नॉस्टाल्जिया का हिस्सा है। क्योंकि करीब 150 सालों से इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट की सबसे भरोसेमंद सर्विस हमेशा के लिए बंद की जा रही है।

तारीख मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि 1 सितंबर से ये सर्विस बंद हो जाएगी।रजिस्ट्री अब किसी भी गवर्नमेंट एजुकेशनल और जुडिशियल सिस्टम का पार्ट नहीं होगी।

क्या कुछ बदलने वाला है और क्यों यह बदलाव किया जा रहा है? इन दोनों सवालों पर हम आएंगे।लेकिन पहले जरा रजिस्ट्री की शुरुआत जान लेते हैं।

यह कहानी शुरू होती है साल 1854 से। जब अंग्रेजों ने भारत में डाक सर्विस को सिस्टेमेटिकली शुरू किया था।तब पहली बार देश में पोस्ट ऑफिस का एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बनाया गया था।

यानी हर जगह एक तय सिस्टम से चिट्ठियां भेजने और पहुंचाने की शुरुआत हुई थी।साथ ही पहला डाक टिकट भी इसी साल निकाला गया था ताकि चिट्ठी भेजने के लिए अलग-अलग कीमत तय की जा सके।

करीब 23 साल बाद यानी कि 1877 में एक स्पेशल सर्विस शुरू की गई थी। जिसे हम रजिस्ट्री या रजिस्टर्ड पोस्ट के नाम से जानते हैं।खासियत यह थी कि जैसे आप एक बहुत जरूरी चिट्ठी भेजना चाहते हो। यानी कि कोर्ट के डॉक्यूमेंट या जमीन के कागजात। तो जाहिर है कि आप चाहेंगे कि वो खोए नहीं या उसके साथ कोई गड़बड़ी ना हो।और जब सामने वाले के पास पहुंच जाए तो आपको पक्का सबूत भी मिले कि रजिस्ट्री को रिसीव कर लिया गया है।

इसी पूरी गारंटी को रजिस्टर्ड पोस्ट में शामिल किया गया।इसमें आपके चिट्ठी को एक खास नंबर मिलता था। वो हर डाक स्टेशन पर रिकॉर्ड किया जाता था।जैसे-जैसे चिट्ठी अपने रास्ते से गुजरती हर जगह उसकी जानकारी दर्ज की जाती।जब चिट्ठी आखिर में उसके असली मालिक तक पहुंच जाती तो खुद डाकिया उससे सिग्नेचर लेता और एक पक्की रसीद वापस पोस्ट ऑफिस में जमा कराता था।

सबसे बड़ी बात यह कि डाकिया रजिस्ट्री उस शख्स को देता था जिसके नाम से वो भेजी गई हो।इस पूरे प्रोसेस में वक्त जरूर लगता था। लेकिन भरोसा था कि चिट्ठी सही सलामत सही इंसान को मिल जाएगी और उसका सबूत भी आपके पास रहेगा।

डाकिया जब किसी को रजिस्ट्री देता था तो सिर्फ इस जिम्मेदारी के साथ कि अगर रास्ते में कुछ हुआ तो वो डाक विभाग खुद जिम्मेदार होगा।इसलिए रजिस्ट्री ने पोस्टल सिस्टम को एक नया स्टेटस दिया था।यानी कि यह एक तरह का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम बन चुका था। जहां डाक खुद प्रॉमिस करती थी कि आपकी चिट्ठी सेफ एंड सिक्योर तरीके से सही इंसान तक पहुंचेगी।

इस सर्विस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल सरकारी दफ्तरों, कोर्ट, कचहरी, स्कूल, कॉलेज और बैंकों में होता था।जैसे किसी सरकारी ऑफिस को कॉन्फिडेंशियल फाइल भेजनी हो। जमीन के कागजात या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए दूसरे डॉक्यूमेंट भेजने हो।वकील को किसी को लीगल नोटिस भेजना हो। या किसी एग्जाम का फॉर्म, एडमिट कार्ड या जॉइनिंग लेटर हो तो लोग बिना सोचे हुए रजिस्ट्री करवाते थे।

इसके लिए एक फॉर्म भरना होता था जिसमें भेजने वाले का नाम, एड्रेस, सामने वाले की पूरी डिटेल और चिट्ठी के बारे में जानकारी देनी होती थी।कभी-कभी इसमें पूछा जाता था कि क्या आपको एकनॉलेजमेंट चाहिए? यानी कि सामने वाला जब चिट्ठी रिसीव करें तो उसकी एक कॉपी आपको भी मिल जाएगी।

बदलते वक्त और टेक्नोलॉजी ने लोगों के सामने रजिस्ट्री का विकल्प दिया।ऐसे विकल्प जो समय कम खाएं और मनचाही सुविधा भी दे।ईमेल की सुविधा आई तो कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज भेजना आसान हो गया।ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा हो गई तो पापा को चिट्ठी लिखकर पैसे मांगने का प्रोसेस खत्म हो गया।

इस बात की गवाही आंकड़ों से भी मिलती है।टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक डाक विभाग के कुछ आंकड़े ऐसे बताते हैं जिनसे पता चलता है कि रजिस्टर्ड पोस्ट का इस्तेमाल 2011-12 में हर साल कम होता गया।11-12 में करीब 24 करोड़ रजिस्ट्री भेजी गई थी। लेकिन वहीं 19-20 में यह संख्या करीब 18 करोड़ तक गिर गई थी। यानी कि लगभग 25% की गिरावट।इसके बाद कोविड महामारी का दौर आता है। डिजिटलाइजेशन बूम करता है और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2020 के बाद यह संख्या और भी कम हो गई होगी।

एक मीडियो कंपनी ने जब एक डाक विभाग के अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि पिछले 10 सालों में रजिस्ट्री की बुकिंग में 80% तक की गिरावट आ चुकी है।लोग इसलिए अब इसकी जगह स्पीड पोस्ट, कूरियर और ईमेल को प्राथमिकता दे रहे हैं।रजिस्टर्ड पोस्ट को कंटिन्यू रखना एक महंगा सौदा बन गया था।क्योंकि इसमें ज्यादा लोग लगते थे और ज्यादा समय भी लगता था। और सिस्टम पूरी तरह से मैनुअल था।

कुछ लोगों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि जब यह सारा प्रोसेस मैनुअल था तो इस सेवा के बंद हो जाने से उन लोगों की नौकरी का क्या होगा जो इस काम में लगे हुए थे?क्या उनकी नौकरी चली जाएगी ऐसा नहीं हो सकता।क्योंकि आमतौर पर किसी सरकारी सेवा के एक हिस्से को बंद कर देने का मतलब यह नहीं होता कि उनसे जुड़े कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया जाए।बल्कि इन कर्मचारियों को दूसरे डिपार्टमेंट या सर्विस में रिअसाइन कर दिया जाता है।

रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विस को अब स्पीड पोस्ट के साथ मर्ज किया जा रहा है।

यानी कि रजिस्ट्री का सारा काम अब स्पीड पोस्ट के प्रोसेस से मर्ज हो जाएगा।

और रजिस्ट्री डेस्क या बुकिंग काउंटर में लगे लोग अब स्पीड पोस्ट, पार्सल, लॉजिस्टिक्स या दूसरी सर्विस में शिफ्ट हो जाएंगे।

हां, अब सवाल यह है कि क्या स्पीड पोस्ट कानूनी तौर पर उतना ही वैलिड होगा जितना रजिस्ट्री हुआ करती थी?

इस सवाल के जवाब में यह सामने आता है कि पहले रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट में एक बेसिक फर्क होता था।यानी कि रजिस्ट्री पोस्ट वही व्यक्ति रिसीव कर सकता था जिनके नाम पर उसे भेजा गया हो। जबकि स्पीड पोस्ट उस एड्रेस पर मौजूद कोई भी व्यक्ति रिसीव कर सकता है जो एड्रेस पोस्ट पर लिखा गया हो।जब आप रजिस्ट्री से किसी चिट्ठी को भेजते थे तो आपको एक रसीद मिलती थी जिस पर लिखा होता था कि आपने किसको कब और कहां चिट्ठी भेजी है।

यही कानूनी रूप से साबित कर देते थे कि आपने चिट्ठी भेजी थी और सामने वाले को वो मिल गई।

सुप्रीम कोर्ट में फिर गूंजा राजद्रोह कानून का सवाल

@ रिंकू विश्वकर्मा

जब भारत में ब्रिटिश राज का शासन था तब देश के कानून का एक हिस्सा था राजद्रोह कानून। जो कि थी आईपीसी की धारा 124 ए। इसका इस्तेमाल ज्यादातर उन लोगों को चुप कराने के लिए होता था जो सरकार की मुखालिफत करते थे। यह कानून 1870 में बनाया गया। इसमें दर्ज किया गया कि अगर कोई ऐसा काम करे जिससे सरकार के लिए नफरत, अपमान या बेवफाई पैदा हो तो वह राजद्रोही माना जाएगा। इसका सबसे ज्यादा निशाना बने हमारे आजादी के सेनानी और उनकी लिखाई। जैसे महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक इत्यादि।

8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका सुनने के लिए हामी भर दी है। जिसमें बीएएस की धारा 152 को चुनौती दी गई। अभी बस इतना समझ लीजिए कि यह कानून सेडिशन यानी राजद्रोह से जुड़ा हुआ है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इस याचिका पर नोटिस जारी किया और इसे एक पहले से चल रहे मामले के साथ जोड़ दिया। जिसमें यही प्रावधान चुनौती में है। यह रिट पिटीशन एसडी बंबटकरे, जो कि इंडियन आर्मी के मेजर जनरल रह चुके हैं, उन्होंने फाइल की है। उन्होंने पहले भी राजद्रोह के कानून यानी कि आईपीसी की धारा 124 ए को एस जीडी बंबटकरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में चुनौती दी थी। और इसी केस की सुनवाई के बाद 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 124 ए आईपीसी के इस्तेमाल पर रोक भी लगा दिया था। अब इस याचिका में क्या कहा गया यह बताने से पहले आपको एक बैकग्राउंड बता दें। कई सालों से राजद्रोह कानून पर देश में काफी बहस होती रही है। लोगों का कहना रहा है कि इसे देशद्रोह की नजर से देखा जाने लगा है। और अक्सर यह सवाल उठते हैं कि राज्य यानी स्टेट और देश में कौन बड़ा है।

इसी बहस के बीच मई 2022 में आईपीसी की धारा 124 ए को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था। मतलब आदेश दिया कि जब तक इस कानून को दोबारा से जांच नहीं लिया जाता यानी री एग्जामिन नहीं कर लिया जाता तब तक राजद्रोह के तहत कोई भी नया केस दर्ज नहीं होगा। और यह जिम्मेदारी दी गई विधि आयोग यानी लॉ कमीशन को।मार्च 2023 में लॉ कमीशन ने कहा कि आईपीसी की धारा 124 ए को बनाए रखना जरूरी है। इसे हटाने का कोई ठोस कारण नहीं है। उल्टा आयोग ने सजा बढ़ाने की सिफारिश कर दी। अभी 3 साल की सजा और जुर्माना है। इसे और सख्त किया जाए। आयोग के मुताबिक भारत की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए यह कानून जरूरी है।

पुराने कानून में यानी आईपीसी में सेडिशन के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 साल की जेल थी। सजा काटनी होती थी और साथ में फाइन भरना होता था। लेकिन जब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएएनएस बनी तो इस सजा को बढ़ाकर कम से कम 7 साल और अधिकतम उम्र कैद कर दिया गया। फाइन अलग से।अब लौटते हैं पिटीशन पर। तो इसमें एक्स आर्मी मेजर जनरल ने कहा कि बीएएनएस का सेक्शन 152 असल में वही पुराना अंग्रेजों के जमाने वाला राजद्रोह कानून वापस ले आया है। बस नाम बदल दिया गया है। भाषा थोड़ी बदल दी गई है। लेकिन असल में इसका मतलब वही है।

ऐसे शब्द और काम अपराध माने जाएंगे जो बहुत अस्पष्ट हैं। जैसे सबवर्सिव एक्टिविटी यानी राज विरोधी गतिविधि। सेपरेटिस्ट फीलिंग्स यानी अलगाव की भावना फैलाना। या भारत के एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाना।पिटिशन कहता है कि यह शब्द इतने खुले और वेग हैं कि सरकार इन्हें अपनी मर्जी से किसी पर भी लागू कर सकती है। याचिका के मुताबिक यह कानून संविधान के आर्टिकल 21 यानी हर व्यक्ति को जीने और अपनी आजादी से जीने का हक। 14 यानी देश के हर व्यक्ति को कानून के सामने बराबरी का हक। और 19 हर नागरिक को बोलने, लिखने, इकट्ठा होने और घूमने-फिरने की आजादी लेकिन कुछ सीमाओं के साथ। इन तीनों धाराओं के खिलाफ है। क्योंकि इसमें भाषा साफ नहीं है। सजा बहुत ज्यादा है। लोगों को बोलने की आजादी यानी फ्री स्पीच पर डर का असर डाल सकता है। और इसका सीधा संबंध सार्वजनिक शांति भंग होने से नहीं जुड़ता।

पुराने आईपीसी का सेक्शन 124 ए सीधा राजद्रोह को परिभाषित करता था। यानी वह सारे एक्ट साफ-साफ बताता था जो सेडिशन के तहत क्रिमिनल माना जाएगा। लेकिन बीएएनएस में एक नया वाक्य जोड़ा गया है। भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना।अब याचिकाकर्ताओं को दिक्कत यह है कि इसमें यह साफ नहीं लिखा कि कौन सी हरकतें इस कैटेगरी में आएंगी। कोई लिस्ट नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है। तो इसे अलग-अलग तरीके से समझा जा सकता है और इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है।

धारा 152 में लिखा है कि अगर कोई अलगाववाद, देश तोड़ने की बात, हथियार उठाकर बगावत या सरकार के खिलाफ तोड़फोड़ वाली गतिविधियों को बढ़ावा देता है या कोशिश करता है तो वह अपराध है। लेकिन यहां अधिकारियों को यह भी खुली छूट मिल गई है कि वे खुद तय करें कि कौन सी बात या काम इस धारा में आएगा। जिससे काफी भ्रम की स्थिति बन सकती है।एक और बड़ा बदलाव यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी जोड़ दिया गया है। मतलब अगर किसी ने सोशल मीडिया मैसेज या इंटरनेट पर कुछ ऐसा लिख दिया जो सरकार के हिसाब से राज्य के खिलाफ है तो उनके ऊपर भी यह धारा लगाई जा सकती है।

और इन्हीं तमाम चीजों को अपने पिटीशन में लिखकर रिटायर्ड जनरल मेजर एस जी बमबटकरे ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है। यह पिटीशन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब इस केस की सुनवाई में क्या होता है यह देखना दिलचस्प रहेगा।

ट्रम्प के टैरिफ: भारत के निर्यात पर कितना असर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में भारत के सामानों पर 50% टैरिफ (कर) लगाने की घोषणा की है। यह फैसला भारत के रूस से तेल खरीदने और व्यापार नीतियों के जवाब में लिया गया है। भारत सरकार ने इस कदम को "अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन" बताया है। यह टैरिफ भारत के निर्यात अर्थव्यवस्था, खासकर स्टील, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और जेम्स-ज्वैलरी जैसे सेक्टर्स पर असर डाल सकता है। इस लेख में हम इस मुद्दे को कई कोणों से समझेंगे, जिसमें आर्थिक प्रभाव, सेक्टर्स पर असर, नौकरियों का भविष्य और भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध शामिल हैं।

टैरिफ का मतलब और इसका बैकग्राउंड

अमेरिका ने भारत के सामानों पर पहले से लागू 25% टैरिफ के ऊपर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया है, जो कुल 50% हो गया। यह टैरिफ 27 अगस्त, 2025 से लागू होगा। ट्रम्प का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदकर रूस-यूक्रेन युद्ध को "फाइनेंस" कर रहा है, जो अमेरिका को मंजूर नहीं। इसके अलावा, ट्रम्प ने भारत की व्यापार नीतियों को भी निशाना बनाया, जिसमें भारत द्वारा अमेरिकी सामानों पर ऊँचे टैरिफ लगाने की बात कही।

भारत ने जवाब में कहा कि रूस से तेल खरीदना उसकी ऊर्जा जरूरतों के लिए जरूरी है। भारत का तर्क है कि यूरोप को तेल की सप्लाई कम होने की वजह से उसने रूस से तेल खरीदा, और अमेरिका ने भी पहले इसकी इजाजत दी थी। फिर भी, ट्रम्प ने इसे भारत-अमेरिका व्यापार असंतुलन को ठीक करने का मौका माना। 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार $129.2 बिलियन का था, जिसमें भारत का व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) $44.4 बिलियन था।

यह टैरिफ भारत के कुल निर्यात का सिर्फ 4.8% हिस्सा ($40 बिलियन) प्रभावित करेगा, जो 2024-25 में $820 बिलियन था। लेकिन कुछ सेक्टर्स पर इसका गहरा असर हो सकता है। भारत सरकार अब नई रणनीतियों पर विचार कर रही है, जैसे निर्यातकों को सब्सिडी देना और वैकल्पिक बाजारों की तलाश।

प्रभावित सेक्टर्स: किसे कितना नुकसान?

टेक्सटाइल और गारमेंट्स

टेक्सटाइल भारत का एक बड़ा निर्यात सेक्टर है, और अमेरिका इसका सबसे बड़ा मार्केट है। भारत के गारमेंट्स का 33% और होम टेक्सटाइल्स का 59% अमेरिका को जाता है। 50% टैरिफ से भारतीय कंपनियों की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे अमेरिकी खरीदार बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों की ओर रुख कर सकते हैं, जिन पर कम टैरिफ है। पर्ल ग्लोबल जैसी कंपनियां, जो Gap और Kohl's जैसे ब्रांड्स को सप्लाई करती हैं, अब बांग्लादेश और वियतनाम में अपने कारखाने शिफ्ट करने की सोच रही हैं। इससे भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। हालांकि, भारत-यूके ट्रेड डील से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन इसका असर दिखने में वक्त लगेगा।

फार्मास्यूटिकल्स

फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर के लिए अच्छी खबर यह है कि अभी इसे टैरिफ से छूट दी गई है। भारत अमेरिका को 40% जेनेरिक दवाइयां सप्लाई करता है, जो वहां सस्ती दवाओं का बड़ा स्रोत हैं। फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (Pharmexcil) के चेयरमैन नमित जोशी ने कहा कि अगर टैरिफ लगाया गया, तो अमेरिकी उपभोक्ताओं को ही नुकसान होगा, क्योंकि दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी।

हालांकि, ट्रम्प ने भविष्य में जेनेरिक दवाओं पर 200% तक टैरिफ की धमकी दी है, अगर भारतीय कंपनियां अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स न लगाएं। सन फार्मा और सिप्ला जैसी कंपनियां, जिनका अमेरिका में पहले से प्रेजेंस है, शायद कम प्रभावित हों। लेकिन छोटी कंपनियों और MSMEs पर दबाव बढ़ सकता है।

स्टील और एल्यूमिनियम

स्टील और एल्यूमिनियम पर पहले से ही टैरिफ हैं, इसलिए नया टैरिफ इन पर लागू नहीं होगा। फिर भी, ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स की वजह से इन सेक्टर्स में कीमतों और डिमांड में उतार-चढ़ाव हो सकता है। टाटा स्टील, JSW स्टील जैसी कंपनियों को शॉर्ट-टर्म में मार्केट सेंटीमेंट की वजह से नुकसान हो सकता है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (EEPC) का कहना है कि $12 बिलियन के स्टील और एल्यूमिनियम निर्यात प्रभावित हो सकते हैं।

जेम्स और ज्वैलरी

जेम्स और ज्वैलरी सेक्टर भारत का एक और बड़ा निर्यात क्षेत्र है, जो अमेरिका को $10 बिलियन का सामान भेजता है। 50% टैरिफ से इस सेक्टर की लागत बढ़ेगी, जिससे कीमतें और शिपमेंट्स पर असर पड़ेगा। जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (GJEPC) के चेयरमैन किरीट भंसाली ने इसे "डूम्सडे" बताया। कई कंपनियां अब UAE और मेक्सिको जैसे कम टैरिफ वाले देशों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स शुरू करने की योजना बना रही हैं।

अन्य सेक्टर्स

ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन्स भी प्रभावित होंगे। भारत ने हाल ही में अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात में चीन को पीछे छोड़ा है, जिसमें $10.6 बिलियन का निर्यात हुआ। लेकिन टैरिफ से यह ग्रोथ रुक सकती है। ऑटो कंपोनेंट्स में भारत के 27% निर्यात अमेरिका को जाते हैं, और भारत फोर्ज, सोना BLW जैसी कंपनियां जोखिम में हैं।

आर्थिक और नौकरी पर असर

इन टैरिफ्स का भारत की अर्थव्यवस्था पर सीमित लेकिन गहरा असर होगा। ICRA का अनुमान है कि FY26 में भारत की GDP ग्रोथ 20 बेसिस पॉइंट्स कम होकर 6% रह सकती है। SBI रिसर्च का कहना है कि टैरिफ से भारत की GDP ग्रोथ 25-30 बेसिस पॉइंट्स कम हो सकती है। हालांकि, भारत की डायवर्सिफाइड अर्थव्यवस्था और घरेलू मांग इसे कुछ हद तक बचा सकती है।

नौकरियों पर असर सबसे ज्यादा MSMEs और टेक्सटाइल, जेम्स-ज्वैलरी जैसे लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स में होगा। इन सेक्टर्स में लाखों लोग काम करते हैं, और निर्यात कम होने से नौकरियां जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर में छोटे कारखानों और कारीगरों पर दबाव बढ़ेगा। दूसरी ओर, फार्मा और स्टील जैसे सेक्टर्स में बड़े खिलाड़ी शायद इस झटके को झेल लें, लेकिन छोटे बिजनेस के लिए मुश्किल होगी।

भारत सरकार ने निर्यातकों के लिए नई सब्सिडी और सपोर्ट मेजर्स की बात की है, जो 2025-26 के बजट में शामिल हो सकते हैं। साथ ही, भारत यूके, UAE और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTAs) पर काम कर रहा है, जो नए मार्केट्स खोल सकता है।

भारत-अमेरिका संबंध: क्या होगा भविष्य?

ट्रम्प के टैरिफ ने भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बढ़ा दिया है। भारत ने इन टैरिफ्स को "बुलीइंग" करार दिया, और विपक्षी नेता जैसे असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव ने सरकार पर नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया। लेकिन भारत सरकार ने साफ किया कि वह राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत किसानों, MSMEs और उद्यमियों के हितों की रक्षा करेगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट (BTA) पर बातचीत चल रही है, और अगस्त में छठे राउंड की मीटिंग होगी। भारत ने WTO नियमों के तहत जवाबी टैरिफ्स का भी प्रस्ताव रखा है, खासकर स्टील और एल्यूमिनियम पर।

हालांकि, ट्रम्प की नीतियां अप्रत्याशित हैं। वह टैरिफ्स को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो समय-समय पर बदल सकता है। भारत को अब डिप्लोमेसी और स्मार्ट ट्रेड स्ट्रैटेजी के जरिए इस चुनौती से निपटना होगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत BRICS और रूस के साथ अपने संबंधों को बनाए रखेगा, जिससे अमेरिका के साथ तनाव बढ़ सकता है।

आगे की राह: भारत क्या कर सकता है?

भारत के पास इस स्थिति से निपटने के लिए कई विकल्प हैं। पहला, वह वैकल्पिक मार्केट्स जैसे यूरोप, अफ्रीका और GCC देशों की ओर रुख कर सकता है। दूसरा, भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और मजबूत करना होगा, ताकि घरेलू डिमांड बढ़े और निर्यात पर निर्भरता कम हो। तीसरा, भारत को टेक्नोलॉजी और क्वालिटी में इन्वेस्ट करना होगा, ताकि ग्लोबल मार्केट में उसकी पोजीशन मजबूत हो।

FICCI और PHDCCI जैसे संगठनों का मानना है कि यह टैरिफ एक मौका भी हो सकता है। भारत डेमोक्रेटिक और स्केलेबल मार्केट है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ा रोल निभा सकता है। साथ ही, भारत को अपनी ट्रेड नीतियों को और लचीला करना होगा, ताकि वह अमेरिका जैसे बड़े मार्केट्स के साथ बैलेंस बना सके।

निष्कर्ष

ट्रम्प के टैरिफ्स ने भारत के सामने एक नई चुनौती पेश की है, लेकिन इसका असर सीमित रह सकता है। टेक्सटाइल, जेम्स-ज्वैलरी जैसे सेक्टर्स को नुकसान होगा, लेकिन फार्मा और स्टील जैसे सेक्टर्स अभी सुरक्षित हैं। भारत की डायवर्सिफाइड अर्थव्यवस्था और सरकार की रणनीतियां इस झटके को कम कर सकती हैं। लेकिन लंबे समय में, भारत को नए मार्केट्स, FTAs और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना होगा।

भारत-अमेरिका संबंधों में यह तनाव एक टेस्ट है। अगर भारत डिप्लोमेसी और स्मार्ट ट्रेड पॉलिसी के साथ आगे बढ़ता है, तो वह इस चुनौती को मौके में बदल सकता है। क्या भारत इस मौके को भुना पाएगा, या टैरिफ्स का असर उसकी ग्रोथ को रोक देगा? यह भविष्य की ट्रेड टॉक्स और भारत की रणनीति पर निर्भर करता है।

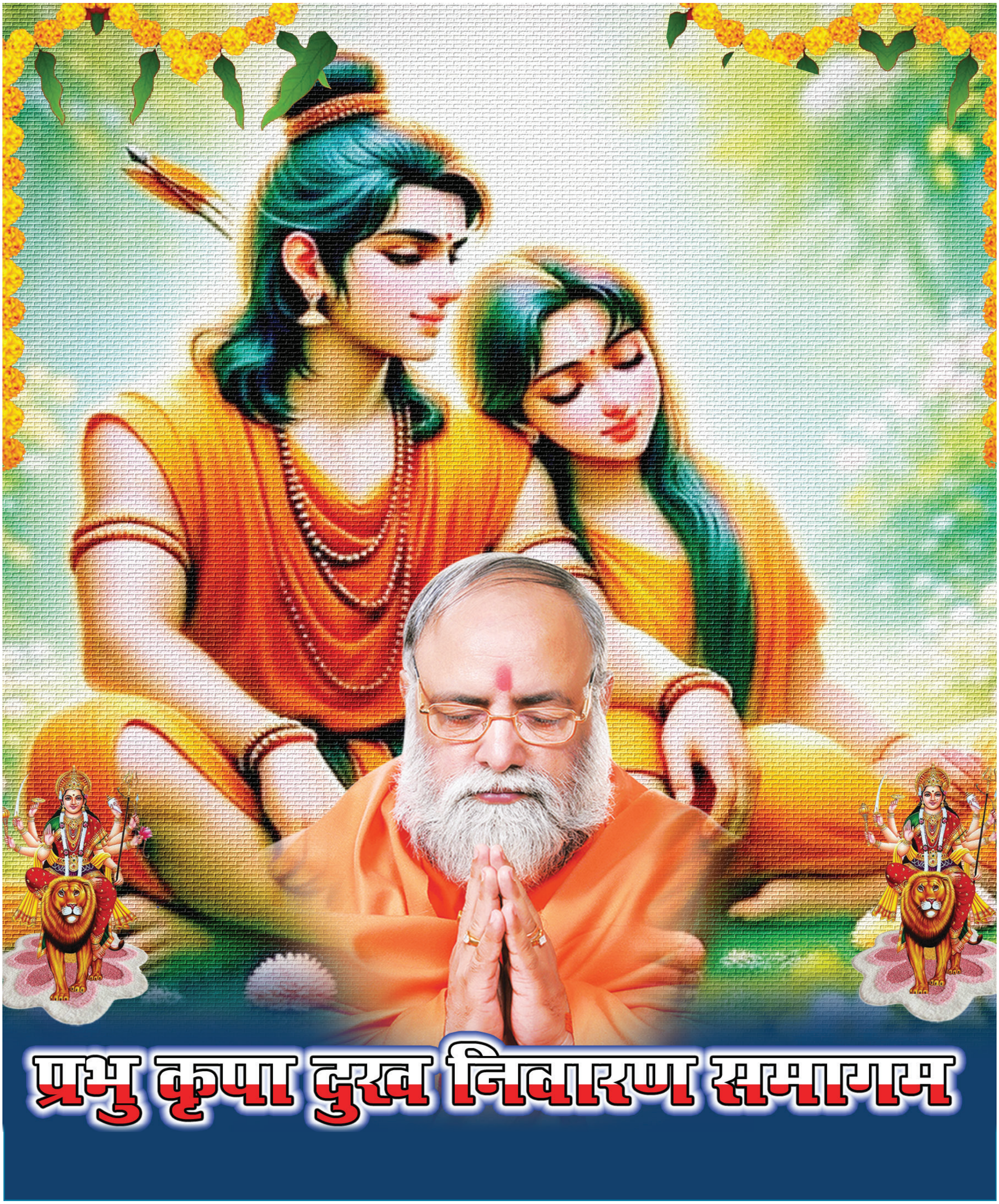
प्रभु कृपा दुख निवारण समागम

BY
Arihanta Industries
ULTIMATE HAIR SOLUTION
100 ML
15 ML
• BHRINGRAJ
• AMLA
• REETHA
• SHIKAKAI
NO
ARITIFICIAL
COLOR
FRAGRANCE
CHEMICAL
KESH VARDHAK SHAMPOO
HAIR CLEANSER
Bhringraj, Amla Reetha & Shikakai
100ml
KESH VARDAK SHAMPOO
The complete solution of all hair problems:
• Prevent hair fall and make hair follicle strong.
• Promote hair growth.
• Free from all artificial & harmful chemicals like., SLS.
• 100% pure ayurvedic shampoo.
• Suitable for all hair types.
ORDER ONLINE @ :
amazon
arihanta.in
Arihanta Industries